THE CORE IAS

"Knowledge to the Core"

PIB

TRUSTED

MOST TRUSTED TOOL FOR PRELIMS & MAINS

नवंबर

2023

National | International | Economy | Sports | Science & Tech | Person In News | Summits & Conference

प्रिल्मिस 2024 के लिए उपयोगी

विषय सूची

I. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (1-4)

II. रक्षा (5-7)

III. अर्थव्यवस्था (8-10)

IV. पर्यावरण (11-15)

V. इतिहास (16-17)

VI. भारतीय राजनीति (18-20)

VII.राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय (21-27)

VIII.योजना (28-34)

IX.रिपोर्ट एवं सूचकांक (35)

X.मुख्य परीक्षा के लिए तथ्य (36)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पिकोसिस्टिस सेलिनारम

- विश्व स्तर पर व्यापक रूप से फैले पिकोप्लांकटोनिक हरे शैवाल।
- **सबसे छोटे हरे शैवालों में से एक।**
- अति लवणीय सोडा झील सांभर, राजस्थान में पाया जाता है।
- दुनिया भर में खारे पानी की झीलों में पाए जाने के बावजूद, भारत में पहली बार राजस्थान की सांभर झील में देखा गया।

विशेषताएँ

- अत्यधिक लवणीय स्थितियों के अनुकूल, अत्यधिक वातावरण में जीवित रहने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है।
- अत्यधिक लवणीय-क्षारीय स्थितियों में बढ़ी हुई प्रकाश संश्लेषक गतिविधि को प्रदर्शित करता है, यह एक उल्लेखनीय विशेषता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर अधिकांश प्रकाश संश्लेषक जीवों में अतिपरासारी स्थितियों के तहत दबा दिया जाता है।
- उच्च लवणता-क्षारीयता के प्रति प्रमुख प्रतिक्रिया के रूप में चौपरोन प्रोटीन का उपयोग करता है।

सांभर झील:

- **भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि राजस्थान में स्थित है।**
- इसे एक **अल्पकालिक खारे पानी की झील** के रूप में जाना जाता है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता देते हुए **रामसर स्थल के रूप में नामित** किया गया।
- **पाँच नदियों से पानी प्राप्त होता है: समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेड़था और रूपनगढ़।**

2 डी प्रोटीन मोनोलेयर द्वारा अमाइलॉइडोसिस को सुलझाना

प्रमुख विशेषताएँ:

- वैज्ञानिकों ने शुद्ध जल उपचरण के इंटरफेस पर **लाइसोजाइम अणुओं को 2डी मोनोलेयर में** इकट्ठा किया।
- लाइसोजाइम की व्यवस्थित परतें अमाइलॉइडोसिस की जटिलताओं की जांच के लिए एक अनूठा मॉडल प्रदान करती हैं।
- विशेष द्वि-आयामी प्रोटीन परतें बनाने के लिए **लैंगमुइर-ब्लोडेट (एलबी) तकनीक** का उपयोग किया गया।
- इस तकनीक में वायु-जल और वायु-ठोस इंटरफेस पर प्रोटीन सहित अणुओं की मोनोलेयर बनाना शामिल है।
- विभिन्न पीएच स्थितियों के तहत लाइसोजाइम अणुओं की संरचना और आकार में परिवर्तन देखा गया।
- ये परिवर्तन अमाइलॉइडोसिस में देखी जाने वाली असामान्यताओं को दर्शाते हैं।
- यह अमाइलॉइडोसिस में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, रोग तंत्र की बेहतर समझ में योगदान देता है।
- प्रोटीन विज्ञान में नैनो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की खोज के लिए एक बहुमुखी मंच स्थापित करता है।

लाइसोजाइम:

- लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है जो आँसू, लार और बलगम जैसे शारीरिक स्रावों में मौजूद होता है।
- बैक्टीरिया से मुकाबला करके शरीर की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विशिष्ट जीवाणुओं की कोशिका दीवारों को तोड़कर, उनकी संरचना को बाधित करके और विनाश की ओर ले जाकर कार्य करता है।
- **वायुमार्ग द्रव का प्रमुख घटक।**
- मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन से जुड़े अमाइलॉइडोसिस जैसी बीमारियों के अध्ययन में एक मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है।

अमाइलॉइडोसिस

- अमाइलॉइडोसिस में शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों में अमाइलॉइड नामक असामान्य प्रोटीन समुच्चय के निर्माण से चिह्नित असामान्य विकारों का एक समूह शामिल है।
- मिसफोल्डेड प्रोटीन से युक्त, ये अमाइलॉइड संरचनाएं हृदय, गुर्दे, यकृत और प्लीहा जैसे अंगों के नियमित कामकाज में बाधा डाल सकती हैं, जिससे समय के साथ धीरे-धीरे क्षति हो सकती है।

दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला रात्रि आकाश अभयारण्य

- **अभयारण्य की स्थापना - भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की सहायता से।**
- **स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में स्थित होगा।**
- यह ऑप्टिकल, इन्फ्रा-रेड और गामा-रे दूरबीनों के लिए **दुनिया की सबसे ऊँचे स्थलों में से एक** होगी।
- यह भारतीय खगोल भौतिकी वेधशाला के निकट है, जो हानले में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है।
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु **भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध** है।

रेडिएटिव शीतलन तकनीकी

प्रसंग:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने विकिरण शीतलन तकनीक का लाभ उठाने वाला एक अग्रणी पेंट विकसित किया है। बढ़ते वैश्विक तापमान और टिकाऊ शीतलन समाधान की मांग के जवाब में, यह लागत प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल पेंट एक आशाजनक और प्रभावी शीतलन समाधान प्रदान करता है।

रेडिएटिव कूलिंग पेंट संरचना:

- एक अभूतपूर्व **मैग्नीशियम ऑक्साइड - पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड पॉलिमर नैनोकम्पोजिट से तैयार** किया गया।
- ऐसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, लागत प्रभावी हों और पर्यावरण के अनुकूल हों, जो गैर-विषाक्तता सुनिश्चित करती हों।

निष्पादन:

- उच्च सौर परावर्तन और अवरक्त थर्मल उत्सर्जन की विशेषता वाली असाधारण शीतलन क्षमताओं का प्रदर्शन करता है।
- मैग्नीशियम ऑक्साइड - पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड पॉलिमर में ढांकता हुआ नैनोकणों के एकीकरण के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय सौर परावर्तन (96.3%) और उत्कृष्ट थर्मल उत्सर्जन (98.5%) होता है।

अनुप्रयोग:

- विशेष रूप से इमारतों पर बढ़ती गर्मी के प्रभाव से निपटने, कुशल शीतलन प्रदान करने और गर्मी के दिनों में बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- बेहतर ऑप्टिकल विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, तेज धूप के तहत सतह के तापमान को लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक कम करता है, जो मानक सफेद पेंट की प्रभावशीलता को पार करता है।

यह तकनीक क्या है?

- रेडिएटिव शीतलन तकनीक का उद्देश्य वायुमंडल में थर्मल विकिरण जारी करके किसी वस्तु से गर्मी को खत्म करना है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु ठंडी हो जाती है।
- यह प्रक्रिया बिना बिजली के संचालित होकर, वायुमंडलीय संचरण खिड़की (8 - 13 m) के माध्यम से अत्यधिक ठंडे ब्रह्मांड (लगभग 3 केल्विन) में सीधे थर्मल विकिरण उत्सर्जित करके ठंडी सतहों को प्राप्त करती है।

महत्व:

- बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और शहरी ताप द्वीप प्रभाव के जवाब में, कुशल शीतलन समाधानों की मांग बढ़ रही है।
- एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे पारंपरिक सक्रिय शीतलन उपकरण महत्वपूर्ण विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और सतह के तापमान में वृद्धि होती है।
- यह तकनीक, वायुमंडलीय संचरण का उपयोग करते हुए, बिजली के उपयोग के बिना ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करके एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है।

नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR)

NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) **संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन** है। NISAR का लक्ष्य उच्च स्थानिक और लौकिक समाधान के साथ वैश्विक अवलोकन प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु:

- **उद्देश्य:** NISAR का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करना और भू-पर्पटी में परिवर्तनों का अध्ययन करना है। यह विभिन्न प्रकार के पृथ्वी विज्ञान अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी करना, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में परिवर्तन पर नजर रखना, भूकंप का अध्ययन करना और ज्वालामुखी विस्फोटों का अवलोकन करना शामिल है।
- **सिंथेटिक एपर्चर रडार:** मिशन में एक सिंथेटिक एपर्चर रडार उपकरण का उपयोग शामिल है, जो उच्च-रिजॉल्यूशन इमेजिंग और दिन और रात और बादलों के माध्यम से विभिन्न तरंग दैर्ध्य में पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने की क्षमता प्रदान करता है।
- **वैश्विक कवरेज:** NISAR को वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करने और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों की निगरानी करने, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान डेटा का योगदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **सहयोग:** नासा और इसरो के बीच सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और पृथ्वी अवलोकन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रेखांकित करता है। प्रत्येक अंतरिक्ष एजेंसी मिशन में अपनी विशेषज्ञता लाती है।

सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM)

- उन्नत SRGM एक मध्यम कैलिबर एंटी - मिसाइल / एंटी - एयरक्राफ्ट पॉइंट डिफेंस हथियार प्रणाली है जो आग की निरंतर दर और उच्च सटीकता प्रदान करती है।
- **निर्माण - मेसर्स बीएचईएल द्वारा।**
- हथियार प्रणाली बहु-खतरे परिदृश्यों में कई कार्यों में सक्षम है और मिसाइलों और अत्यधिक युद्धाभ्यास वाले तेज हमले वाले शिल्पों के खिलाफ बहुत अच्छे प्रदर्शन का रिकॉर्ड है।
- उन्नत SRGM को नौसेना के सेवारत और नवनिर्मित जहाजों पर स्थापित किया जाएगा।

मिसाइल कम कॉम्बैट एम्यूनिशन बार्ज LSAM 7

प्रसंग:

चौथी मिसाइल कम कॉम्बैट एम्यूनिशन बार्ज सैड 10 का शुभारंभ।

विवरण:

- LSAM 10 का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड, मेसर्स SECON इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (SEPPL), विशाखापत्तनम द्वारा किया गया था।
- इन नौकाओं की उपलब्धता से घाटों और बाहरी बंदरगाहों दोनों पर भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए सामान/गोला-बारूद के परिवहन, आरोहण और उतरने की सुविधा प्रदान करके नौसेना की परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति मिलेगी।
- ये नौकाएं प्रासंगिक नौसेना नियमों और भारतीय शिपिंग रजिस्टर के विनियमन के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित की गयी हैं।
- बार्ज फ्लैट-तले वाले अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज हैं जिनके पास यांत्रिक प्रणोदन का अपना साधन नहीं है।

भारतीय लाल बिच्छू के डंक का नया उपचार

प्रसंग:

भारतीय लाल बिच्छू के डंक के बेहतर उपचार के लिए नवीन चिकित्सीय फॉर्मूलेशन विकसित किया गया।

अंक:

- नव विकसित चिकित्सीय दवा फॉर्मूलेशन में वाणिज्यिक इक्वाइन एंटी-स्कॉर्पियन एंटीवेनम, α1- एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट और विटामिन C की कम खुराक शामिल है।
- इसका उपयोग जहर की विषाक्तता और संबंधित लक्षणों को रोकने के लिए किया जाता है जो बिच्छू के डंक के रोगियों के नैदानिक प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है।
- **भारतीय लाल बिच्छू (मेसोबुथस टैमुलस)** दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छुओं में से एक है और इसका डंक जानलेवा होता है।
- एम. टैमुलस वेनम (एमटीवी) के खिलाफ अश्व-विरोधी बिच्छू एंटीवेनम (एएसए) का अंत:शिरा प्रशासन, बिच्छू के डंक के लिए एकमात्र उपलब्ध उपचार है।
- लेकिन, विष के विरुद्ध विष-विशिष्ट एंटीबॉडी का कम अनुपात एक समस्या पैदा करता है। इसलिए, डंक के इलाज के लिए उच्च एंटी-वेनम की आवश्यकता होती है और इससे उपचारित रोगियों में प्रतिकूल सीरम प्रतिक्रिया हो सकती है।
- नया टीडीएफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ-साथ तेजपुर विश्वविद्यालय एनआईईएलआईटी, गुवाहाटी के विद्वानों के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है।

AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023

एक ऐतिहासिक घटना, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सरकारों, अग्रणी एआई कंपनियों, नागरिक समाज समूहों और अनुसंधान विशेषज्ञों को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के जोखिमों और लाभों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया, जिन्हें फ्रंटियर ।प् के रूप में जाना जाता है।

मुख्य परिणाम:

- **बैलेचली पार्क घोषणा:** शिखर सम्मेलन का समापन बैलेचली पार्क घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जो फ्रंटियर एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार विकास पर सहयोग करने के लिए 28 देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता है।
- **एआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना:** यूके सरकार ने दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान शुरू करने की घोषणा की, जिसे सीमांत एआई के लिए सुरक्षा उपायों को विकसित करने और लागू करने का काम सौंपा जाएगा।
- **सुरक्षा परीक्षण ढांचे पर समझौता:** शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी फ्रंटियर एआई व्यवस्था के सुरक्षा परीक्षण के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हुए, जो संभावित जोखिमों को पहचानने और कम करने में सहायता करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता:** शिखर सम्मेलन ने एआई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की पुष्टि की, यह मानते हुए कि AI से संबंधित जोखिम स्वाभाविक रूप से वैश्विक हैं।

महत्व:

AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 AI के सुरक्षित और जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम था। शिखर सम्मेलन ने फ्रंटियर AI की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया और इसके परिणामस्वरूप सहयोग और कार्रवाई के लिए ठोस प्रतिबद्धताएं सामने आईं। शिखर सम्मेलन के नतीजों का आने वाले वर्षों में AI के विकास और उपयोग पर स्थायी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मुख्य बिंदु:

- फ्रंटियर AI में हमारे जीवन के कई पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करता है।
- AI सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
- AI जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए सुरक्षा परीक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- हमें AI के विकास और उपयोग के लिए नए नैतिक मानदंड और दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।
- AI सुरक्षा एक जटिल और दीर्घकालिक चुनौती है, लेकिन सभी के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम

- DIR-V कार्यक्रम का **लक्ष्य भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का उत्थान करना** है।
- कार्यक्रम का **उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर के क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना** है।
- कार्यक्रम के **तीन प्रमुख सिद्धांत नवाचार, कार्यक्षमता और प्रदर्शन** हैं।
- भारत के कंप्यूटिंग व्यवस्था DIR-V (डिजिटल इंडिया RISC-V) कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे और उन सभी क्षमताओं में एक गंभीर उपस्थिति होगी जिनकी हमें ऑटोमोटिव, अंतरिक्ष तकनीक, आईओटी सेंसर और गतिशीलता में आवश्यकता है।
- **RISC-V एक ओपन-सोर्स कंप्यूटर मॉडल है।**
- RISC-V का मतलब शरिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटरश है और 'V' पांचवीं पीढ़ी के लिए है।
- इसका उद्देश्य भारत को दुनिया के लिए त्ैब्-ट टैलेंट हब और दुनिया भर में सर्वर, मोबाइल डिवाइस, ऑटोमोटिव, प्ब्ज और माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए चिप्स पर RISC-V व्यवस्था के आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

***

INS सूरत

- यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित **प्रोजेक्ट 15बी (विशाखापत्तनम क्लास) विध्वंसक जहाज का चौथा जहाज है।**
- INS सूरत को एक अभिनव ब्लॉक निर्माण पद्धति के साथ बनाया गया है, जिसमें मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड में एकीकृत होने से पहले जहाज के पतवार को विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर इकट्ठा किया गया है।
- जहाज के शिखर पर हजीरा प्रकाश-स्तंभ को दर्शाया गया है जो 1836 में खंभात के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर बनाया गया था और एक एशियाई शेर जो महिमा और ताकत का प्रतीक है।

ऑस्ट्रहिंद अभ्यास

उद्देश्य:

- **भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य बलों के बीच** सहयोगी साझेदारी को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।

मुख्य बिंदु:

- संयुक्त संचालन और अनुकूलता में अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देना।
- सामरिक विचारों का आदान-प्रदान और तकनीकों और प्रक्रियाओं का संयुक्त अभ्यास।
- भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाना।
- दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना।
- सैन्य अभियानों के प्रभावी निष्पादन के लिए विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच समझ और तालमेल को आगे बढ़ाना।

ICGS सजग

- **ICGS सजग पोरबंदर में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अपतटीय गश्ती जहाजों के भारतीय तटरक्षक बेड़े का हिस्सा है।**
- यह कमांडर तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर पश्चिम) की कमान के तहत संचालित होता है।
- जहाज आधुनिक हथियार प्रणालियों, सेंसरों और अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों से सुसज्जित है, जिसमें सतह और वायु संचालन दोनों का समर्थन करने के लिए एक अभिन्न हेलीकॉप्टर भी शामिल है।

INS इम्फाल

- **प्रोजेक्ट 15बी स्टील्थ-निर्देशित मिसाइल विध्वंसक में से तीसरे** का अनावरण रक्षा मंत्री द्वारा किया गया।
- INS इंफाल के शिखर का डिजाइन **बाईं ओर कांगला पैलेस और दाईं ओर 'कंगला-सा'** को दर्शाता है।
  1. कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है।
  2. कंगला-सा मणिपुर का एक पौराणिक प्राणी है जिसका सिर ड्रैगन और शरीर शेर जैसा है। यह लोगों के संरक्षक के रूप में प्रतीकात्मक है। कंगला-सा मणिपुर का राज्य प्रतीक भी है।
- यह 7,400 टन के विस्थापन और 164 मीटर की कुल लंबाई के साथ INS इम्फाल निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है।
- वह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज-रोधी मिसाइलों और टॉरपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित एक शक्तिशाली और बहुमुखी मंच है।
- वह 30 नॉटिकल मील (56 किमी/घंटा) से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है।
- जहाज में लगभग 75% की उच्च स्वदेशी सामग्री लगी है।
- यह पहला कैपिटल युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसी शहर के नाम पर रखा गया है।

ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट (CSL) परियोजना

- रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच आठ ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
- आठ में से पहले तीन जहाजों को कोच्चि में लॉन्च किया गया था। ये तीन जहाज **माहे, मालवन और मंगरोल** हैं।
- माहे श्रेणी के ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट का नाम भारत के तट पर रणनीतिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है।
- ये जहाज स्वदेशी रूप से विकसित, अत्याधुनिक पानी के नीचे सेंसर से लैस होंगे, और तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन के साथ-साथ कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान बिछाने के संचालन की परिकल्पना की गयी है।
- सभी जहाजों में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जो 'मेक इन इंडिया' में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

सूर्य किरण अभ्यास

- यह सूर्य किरण अभ्यास का 17वां संस्करण है जो 2011 में शुरू हुआ था।
- वार्षिक अभ्यास **भारत और नेपाल** में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- अभ्यास का उद्देश्य शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है।
- यह अभ्यास ड्रोन और काउंटर-ड्रोन उपायों, चिकित्सा प्रशिक्षण, विमानन पहलुओं और पर्यावरण संरक्षण के रोजगार पर केंद्रित होगा।
- इन गतिविधियों के माध्यम से, सैनिक अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, अपने युद्ध कौशल को निखारेंगे और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने समन्वय को मजबूत करेंगे।

मित्र शक्ति अभ्यास

- सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से **भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना** के बीच रक्षा सहयोग का स्तर और बढ़ेगा।
- अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत उप-पारंपरिक संचालन के संचालन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है।
- अभ्यास के दायरे में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं का समन्वय शामिल है।

कॉर्पैट एवं पूर्व-बोंगोसागर

- बोंगोसागर-23 का चौथा संस्करण, **भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना** के बीच द्विपक्षीय अभ्यास और दोनों नौसेनाओं द्वारा समन्वित गश्ती (कॉर्पैट) का 5वां संस्करण नवंबर 2023 में दो दिनों के लिए बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था।
- दोनों नौसेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त गश्त की और बाद में अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए समुद्री अभ्यास किया।

महासागर

- **महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय आभासी बातचीत के लिए भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है।** महासागर शब्द का अर्थ है श्विशाल महासागरश।
- इस बैठक के दौरान, नौसेना प्रमुख ने नौसेनाओं/समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों और बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया जैसे आईओआर तटीय क्षेत्रों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत की।
- बातचीत का विषय श्सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोणश था, जो हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमताओं और क्षमताओं के बीच सामंजस्य और सहयोग के लिए वर्तमान और आवश्यक अनिवार्यता पर प्रकाश डालता है।

वज्र प्रहार अभ्यास

- **भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल** अभ्यास "वज्र प्रहार 2023" का 14वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ।
- पूर्व वज्र प्रहार का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है।
- पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था।

INDUS-X

प्रसंग:

2+2 भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले दिल्ली में पहले INDUS-X निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) ने 2+2 भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय बैठक की शुरुआत के रूप में नई दिल्ली में पहले INDUS-X निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- बैठक में सहयोगी एजेंडा और अवसरों पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के स्टार्टअप/एमएसएमई, निवेशक, इनक्यूबेटर और उद्योग जैसे सभी हितधारकों को एक छत के नीचे लाया गया।
- भारत और अमेरिका की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत के प्रधान मंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान जून 2023 में **भारत-अमेरिकी रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS-X)** लॉन्च किया गया था।

INS सुमेधा

- INS सुमेधा सरयू वर्ग के स्वदेशी रूप से विकसित **नौसेना अपतटीय गश्ती जहाज** में से तीसरा है, जिसे स्वतंत्र रूप से और बेड़े संचालन के समर्थन में कई भूमिकाओं के लिए तैनात किया गया है।
- जहाज में कई हथियार प्रणालियाँ, सेंसर, अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियाँ और एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है।
- INS सुमेधा एक एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ले जा सकता है।

महत्त्व:

- भारतीय नौसेना के जहाज **'मैत्री के पुल'** बनाने, मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और दुनिया भर में समुद्री चिंताओं को दूर करने के भारतीय नौसेना के मिशन के हिस्से के रूप में नियमित रूप से तैनात किए जाते हैं।
- वर्तमान यात्रा का उद्देश्य मित्र देशों के साथ भारत की एकजुटता को बढ़ाना और विशेष रूप से नामीबिया के साथ दोस्ती के मौजूदा संबंधों को मजबूत करना है।

***

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP)

- इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, **ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया खाड़ी में एक प्रस्तावित बंदरगाह** है।
- यह ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का एक भाग है।
- इसे **बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा** विकसित किया जा रहा है।
- ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का उद्देश्य फीडर से लेकर बड़े अंतर-महाद्वीपीय वाहक तक सभी प्रकार के जहाजों के आकार में तेजी से वृद्धि के लिए आर्थिक अवसर में सुधार करना है। यह विकास द्वीप के बुनियादी ढांचे की कमियों को पाटने में भी सहायता करता है।
- ट्रांसशिपमेंट परियोजना के 41,000 करोड़ रुपये (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश के साथ पूरा होने की उम्मीद है।
- **कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।**

महत्व:

- सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे मौजूदा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग से निकटता (मलक्का जलडमरूमध्य से 40 समुद्री मील) के संदर्भ में रणनीतिक स्थान।
- 20 मीटर से अधिक गहराई तक प्राकृतिक जल की उपलब्धता।
- घरेलू सहित निकटवर्ती सभी बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट कार्गो को पकड़ने की क्षमता।
- राजस्व हानि में सहायता कर सकता है, लॉजिस्टिक्स अक्षमताओं को कम कर सकता है और एशिया-अफ्रीका, एशिया-यूएस/यूरोप कंटेनर ट्रैफिक व्यापार के लिए एक बड़ा केंद्र बनने का अवसर पैदा कर सकता है।
- वर्तमान में, देश का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशिप्ड कार्गो देश के बाहर के बंदरगाहों पर संभाला जाता है। यह परियोजना ट्रांसशिपमेंट कार्गो पर प्रति वर्ष 200-220 मिलियन अमेरिकी डॉलर बचाने में सहायता कर सकती है।

एशियाई विकास बैंक

- एशियाई विकास बैंक का प्राथमिक मिशन एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच **"आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना" है।**
- **1966 में स्थापित और मनीला, फिलीपींस में स्थित, ADB सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है।**
- ADB इस क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार है और अंतरराष्ट्रीय बांड बाजारों के माध्यम से नियमित रूप से पूंजी जुटाता है। ADB संगठन के वित्तपोषण के लिए सदस्यों के योगदान, उधार से अर्जित आय और ऋणों के पुनर्भुगतान पर भी निर्भर करता है।

चाबी छीनना

- एशियाई विकास बैंक (ADB) का प्राथमिक मिशन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है।
- ADB के अधिकांश सदस्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हैं।
- ADB क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों को सहायता प्रदान करता है।

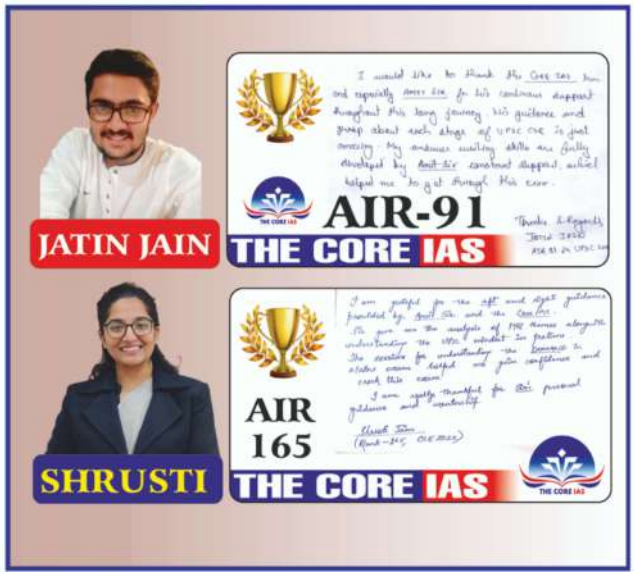

- यह विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदान, ऋण, तकनीकी सहायता और इक्विटी निवेश के माध्यम से कुछ निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तपोषण भी प्रदान करता है।
- ADB को सदस्य देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें अमेरिका और जापान की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

तीव्र नवाचार और स्टार्टअप विस्तार (उदय)

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन (RISE) नामक एक नया एक्सेलेरेटर लॉन्च किया।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया में सर्कुलर इकोनॉमी प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को इस पहल से लाभ होगा।
- **इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलेरेटर ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO और अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के बीच साझेदारी में वितरित किया गया है।**
- नौ महीने का त्वरक कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय नवप्रवर्तकों और उद्योग भागीदारों को साझा राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। कार्यक्रम पर्यावरण और जलवायु प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
- RISE व्यवसायों को एक नए क्षेत्र में शुरुआती कदम उठाने, विदेशों में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को मान्य और अनुकूलित करने, सही भागीदारों, ग्राहकों और प्रतिभाओं के लिए फास्ट-ट्रैक कनेक्शन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफल होने के लिए विश्वसनीयता बनाने में सहायता करेगा।

कृषि 24/7

प्रसंग:

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (वाधवानी AI) के सहयोग से कृषि 24/7 विकसित किया।

लाभ:

- **कृषि 24/7 एक अग्रणी एआई-संचालित अभिनव समाधान है जो स्वचालित कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल को प्रौद्योगिकी और कृषि के संलयन को प्रदर्शित करते हुए Google.org से समर्थन प्राप्त होता है।**
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक भाषा संबंधी बाधाओं को पार करते हुए विभिन्न भाषाओं में समाचार लेखों को स्कैन करने की क्षमता है। इसके बाद यह इन लेखों का अंग्रेजी में अनुवाद करता है, जिससे वे विश्लेषण के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं।
- यह समाधान विभाग को प्रासंगिक समाचारों की पहचान करने, समय पर अलर्ट उत्पन्न करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने और बेहतर निर्णय लेने के माध्यम से स्थायी कृषि विकास को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।
- कृषि 24/7 की शुरूआत एक कुशल तंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करती है जो कृषि समाचार लेखों की पहचान और प्रबंधन कर सके। यह समय पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में सहायक है, खासकर उन घटनाओं के लिए जो कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती हैं।
- यह कृषि और किसान कल्याण विभाग की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रासंगिक समाचार लेखों की पहचान करने, समय पर अलर्ट उत्पन्न करने और त्वरित कार्रवाई को सक्षम करने से, समाधान किसानों के हितों की रक्षा करता है और बेहतर और सूचित निर्णय लेने के माध्यम से स्थायी कृषि विकास को बढ़ावा देता है।
- यह उपकरण कई भाषाओं में समाचार लेखों को स्कैन करता है और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करता है। यह समाचार लेखों से आवश्यक जानकारी निकालता है, जैसे शीर्षक, फसल का नाम, घटना का प्रकार, तिथि, स्थान, गंभीरता, सारांश और स्रोत लिंक, यह सुनिश्चित करते हुए कि मंत्रालय को वेब पर प्रकाशित प्रासंगिक घटनाओं पर समय पर अपडेट प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI)

प्रसंग:

सितंबर 2023 में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में 3.83 अंक की वृद्धि हुई। यह वृद्धि वैश्विक बाजारों में कोयले की कीमतों में अस्थायी वृद्धि से प्रभावित थी।

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक क्या है?

- **NCI एक मूल्य सूचकांक है जो निश्चित आधार वर्ष के सापेक्ष किसी विशेष महीने में कोयले के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।**
- NCI के लिए **आधार वर्ष वित्त-वर्ष 2017-18 है।**
- NCI संकलित करने के लिए आयात सहित कोयले के सभी बिक्री चौनलों से कोयले की मौजूदा कीमतों को ध्यान में रखा जाता है।
- नीलाम किए गए ब्लॉकों से उत्पादित प्रति टन कोयले के राजस्व हिस्से की राशि एक परिभाषित सूत्र के माध्यम से NCI का उपयोग करके निकाली जाएगी।
- NCI पांच उप-सूचकांकों के एक सेट से बना है: तीन गैर-कोकिंग कोल के लिए और दो कोकिंग कोल के लिए।
  1. गैर-कोकिंग कोयले के सूचकांक पर पहुंचने के लिए गैर-कोकिंग कोयले के तीन उप-सूचकांकों को जोड़ दिया जाता है और कोकिंग कोयले के सूचकांक पर पहुंचने के लिए कोकिंग कोयले के दो उप-सूचकांकों को जोड़ दिया जाता है।
  2. इस प्रकार, नॉन-कोकिंग और कोकिंग कोल के लिए सूचकांक अलग-अलग हैं।
- किसी खदान से संबंधित कोयले के ग्रेड के अनुसार, राजस्व हिस्सेदारी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त उप-सूचकांक का उपयोग किया जाता है।

REC द्वारा रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

प्रसंग:

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विवरण:

- परियोजनाओं में डेटा सेंटर उत्पादों और सेवाओं, दूरसंचार और आईटी उत्पादों और सेवाओं, रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं और कवच ट्रेन टकराव निवारण प्रणाली सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- यह समझौता दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका में द्विपक्षीय देश चर्चाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में हाई-स्पीड रेल, मेट्रो, आईटी नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क के उन्नयन से संबंधित विदेशी उद्यमों के वित्तपोषण की संभावना को भी बढ़ाता है, जहां रेलटेल वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर रहा है। .
- **REC:** REC **1969 में विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित एक महारत्न** CPSE है, जो विद्युत-बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। हाइड्रोजन, आदि अब इसने गैर-ऊर्जा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी कदम रखा है।

लीप अहेड पहल

प्रसंग:

STPI ने लीप अहेड पहल शुरू की।

यह क्या है?

- **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली-एनसीआर का संयुक्त सहयोग।**
- **इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप को सफल होने में सहायता करना है।**

फोकस:

- स्टार्ट-अप्स को रु. 1 करोड़ तक की फंडिंग सहायता और एक व्यापक तीन महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम प्राप्त हो सकता है जो एक अच्छी तरह से सीखने के अनुभव के लिए आभासी और व्यक्तिगत सत्रों को जोड़ता है।
- यह स्टार्ट-अप को अनुभवी निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ एक-पर-एक मेंटरशिप सत्र के माध्यम से एक व्यापक नेटवर्क और व्यक्तिगत मार्गदर्शन तक पहुंच प्रदान करेगा।
- यह पहल स्टार्टअप्स को उत्पाद बाजार में फिट स्थापित करने, ग्राहक खंडों की पहचान करने, हैकिंग रणनीतियों, व्यापार अनुपालन, नेतृत्व भर्ती और धन उगाहने में सक्षम बनाएगी।

STPI: STPI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने, तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने और आईटी/आईटीईएस उद्योग के प्रसार के लिए काम कर रहा है।

TiE: इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TiE) की स्थापना 1992 में सिलिकॉन वैली में सफल उद्यमियों, कॉर्पोरेट अधिकारियों और सिंधु क्षेत्र में जड़ें रखने वाले वरिष्ठ पेशेवरों के एक समूह द्वारा की गयी थी। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो सभी उद्योगों में, सभी चरणों में, ऊष्मायन से लेकर उद्यमशीलता जीवनचक्र के दौरान उद्यमियों के लिए समर्पित है।

चिंताजनक उलटी गिनती

संदर्भः संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "ब्रोकन रिकॉर्ड" है, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के खतरनाक स्तर को संबोधित करने के लिए बढ़ती तात्कालिकता की मार्मिक याद दिलाती है। रिपोर्ट का तात्पर्य है कि बढ़ते उत्सर्जन के परिणामों के बारे में चेतावनियों को न केवल नजरअंदाज किया जा रहा है बल्कि नए रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं।

मुख्य बिंदुः

- **पेरिस समझौते का उद्देश्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, साथ ही "जहाँ तक संभव हो" पूर्व-औद्योगिक स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का प्रयास करना है।**
- रिपोर्ट बताती है कि देशों की वर्तमान प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप सदी के अंत तक तापमान 2.5°C-2.9°C तक बढ़ जाएगा।
- तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि सबसे आशावादी परिदृश्य भी तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की केवल 14% संभावना देते हैं।
- कई देशों ने 'शुद्ध शून्य' कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया है, लेकिन रिपोर्ट इन प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।
- हालाँकि पेरिस समझौते के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कुछ कमी आई है, लेकिन प्रगति की गति अपर्याप्त रही है।
- **2022 में उत्सर्जन में 2021 की तुलना में 1.2% की वृद्धि हुई है, जो लगभग महामारी-पूर्व के स्तर पर वापस आ गया है।**

महत्वः

- विलंबित कार्रवाई के परिणाम अभूतपूर्व जलवायु घटनाओं, पारिस्थितिकी तंत्र और विश्व स्तर पर मानव कल्याण के लिए खतरा बन रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।
- विनाशकारी जलवायु परिणामों को रोकने के लिए तत्काल और सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
- उत्सर्जन के मूल कारणों को संबोधित करने और प्रभावी समाधान तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।

समाधानः

- रिपोर्ट विशेष रूप से सबसे धनी देशों से अधिक और तेजी से उत्सर्जन में कटौती की आवश्यकता पर बल देती है।
- कार्बन उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया जाना चाहिए और वैश्विक उत्सर्जन को कम करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है।
- समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, और दुनिया को आवश्यक उत्सर्जन कटौती हासिल करने के लिए स्थायी प्रथाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।
- कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिये तत्काल और प्रभावशाली कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौते पर कार्यशाला

नीति आयोग ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के साथ साझेदारी में भारत में "सतत भविष्य के लिए हरित विकास संधि" पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

कार्यशाला का उद्देश्य जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा से संबंधित चर्चाओं की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में जीन विकास संधि को लागू करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि इकट्ठा करना है।

भारत के जी20 अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच सहकारी समाधान की आवश्यकता है और हरित विकास समझौते पर जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा को सफलतापूर्वक अपनाया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य ऊर्जा परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और आपदा-लचीले बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देने के साथ हरित विकास समझौते के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करना है। कार्यशाला के परिणामों को वैश्विक स्तर पर टिकाऊ जलवायु कार्रवाई के लिए एक खाका प्रदान करने वाले परिणाम दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाएगा।

कार्यशाला तीन अलग-अलग सत्रों पर केंद्रित है, जिनमें से प्रत्येक खंड का उद्देश्य विशिष्ट कार्य बिंदुओं और रणनीतियों में एकजुट होना है जो एनडीएलडी में निर्धारित दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक हैं:

1. **स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को लागू करना** - ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों और प्रौद्योगिकियों को तैनात करने की सामर्थ्य और विश्वसनीयता पर ध्यान देना अनिवार्य है। साथ ही कम लागत वाले वित्त की सुविधा और विश्वसनीय, विविध और जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की भी आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और सामर्थ्य, स्थिरता और न्याय चर्चा के मुख्य क्षेत्र होंगे।
2. **पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, संरक्षित करना और उसका सतत उपयोग करना**-नेताओं की घोषणा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, मरुस्थलीकरण, सूखा, भूमि क्षरण, प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा और पानी की कमी को संबोधित करने में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर जोर देती है। इस विषय में चर्चा के लिए मुद्दे शामिल हैं जैसे सतत विकास (LiFE) के लिए जीवनशैली को मुख्यधारा में लाना, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को डिजाइन करना और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना।
3. अनुकूलन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा - नेताओं की घोषणा महिलाओं और लड़कियों पर विशेष जोर देने के साथ कमजोर समुदायों पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, मरुस्थलीकरण और प्रदूषण के असंगत प्रभाव को स्वीकार करती है। राष्ट्रीय और सामुदायिक लचीलापन बनाने के लिए, भारत की जी20 अध्यक्षता ने ष्आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) कार्य समूह को संस्थागत बनाकरष आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रयासों को उत्प्रेरित किया। इस सत्र के तहत चर्चा के विषयों में जलवायु पूर्वानुमान, आपदा जोखिम और लचीलेपन को मुख्यधारा में लाना, तटीय राज्यों/शहर-स्तरीय तैयारी और जलवायु लचीलेपन का वित्तपोषण शामिल है।

यह कार्यशाला ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु और आपदा लचीलेपन पर काम करने वाले विशेषज्ञों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, थिंक-टैंक के प्रतिनिधियों और सरकार के विभिन्न विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करेगी ताकि आगे बढ़ने के रास्ते और जी 20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में उल्लिखित परिणाम और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान की जा सके।

राष्ट्रीय ऊर्जा-दक्ष पाक कला कार्यक्रम

राष्ट्रीय ऊर्जा-दक्ष पाक कला कार्यक्रम भारत में एक **सरकारी पहल** है जिसका उद्देश्य खाना पकाने के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इंडक्शन कुकस्टोव जैसी स्वच्छ और ऊर्जा कुशल खाना पकाने की प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम **ऊर्जा मंत्रालय के तहत** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- खाना पकाने के लिए जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना
- इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार करना
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना
- नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना

प्रमुख विशेषताएँ:

- इंडक्शन कुकस्टोव की रियायती कीमत
- जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रम
- निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना

लाभ:

- ऊर्जा की खपत में कमी
- घर के अंदर वायु की गुणवत्ता में सुधार
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी
- नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार
- निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए आर्थिक लाभ

श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान - GRAP)

- GRAP को पहली बार **जनवरी 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित** किया गया था।
- GRAP आपातकालीन कार्य योजनाओं का एक समूह है जिसे वायु प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर चार चरणों में लागू किया जाता है, जो **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) द्वारा निर्धारित** किया जाता है।
- GRAP का पहला चरण तब लगाया जाता है जब समग्र वायु गुणवत्ता **'खराब'** श्रेणी में होती है, और इसमें कचरा जलाने और पानी छिड़के बिना सफाई करने पर जुर्माना, निर्माण स्थलों पर धूल शमन उपायों को लागू करना और एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जैसे उपाय शामिल होते हैं।
- GRAP का दूसरा चरण तब लगाया जाता है जब हवा की गुणवत्ता **'बहुत खराब'** श्रेणी में प्रवेश करती है, और इसमें डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क में वृद्धि और कमजोर आबादी के लिए एक सलाह जैसे अतिरिक्त उपाय शामिल होते हैं।
- GRAP का तीसरा चरण तब लगाया जाता है जब हवा की गुणवत्ता **'गंभीर'** श्रेणी को पार कर जाती है, और इसमें निर्माण और विध्वंस गतिविधियों, हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टों और पत्थर क्रशर पर प्रतिबंध शामिल है।
- GRAP का चौथा और अंतिम चरण तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता **'गंभीर प्लस'** श्रेणी में होती है, और इसमें दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश को रोकना, डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना और संभावित रूप से कुछ समय के लिए भौतिक कक्षाओं को बंद करना जैसे उपाय शामिल हैं। स्कूल ग्रेड और उन्हें ऑनलाइन ले जाना।
- बेहतर समन्वय और वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना की गयी है।

संशोधित उपाय क्या हैं?

- **स्टेज I - 'खराब' वायु गुणवत्ता** (एक्यूआई 201-300 के बीच): अधिक पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर एनजीटी/माननीय एससी के आदेश को लागू करना।
- **स्टेज II - 'बहुत खराब'** (एक्यूआई 301-400): क्षेत्र में चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई।
- **चरण III - 'गंभीर'** (एक्यूआई 401-450): कुछ क्षेत्रों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाना और कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों में शारीरिक कक्षाएं निलंबित कर सकना।
- **स्टेज IV - 'गंभीर प्लस'** (AQI 450 से अधिक) : जब AQI 450 से अधिक हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों और BS-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्लाउड सीडिंग

- **क्लाउड सीडिंग में संघनन प्रक्रिया को तेज करने और बड़ी बारिश की बूंदों के निर्माण के लिए बादलों में कृत्रिम कणों को शामिल करना शामिल है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं।**
- इसके संभावित लाभों में वर्षा में वृद्धि (कृषि क्षेत्र को लाभ), जल संसाधन प्रबंधन में सहायता, जलविद्युत उत्पादन, सूखे को कम करना, जंगल की आग को नियंत्रित करना, ओलावृष्टि दमन, कोहरे का अपव्यय और बर्फ की परत में वृद्धि शामिल है।

CITES

प्रसंग:

- भारत 2004 से रेड सैंडर्स (लाल चंदन) के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा (RTS) प्रक्रिया के अधीन है।
- यह विकास भारत के अनुपालन और रिपोर्टिंग की स्वीकृति है।

CITES RTS प्रक्रिया:

- यह प्रक्रिया उन देशों पर व्यापार निलंबन के रूप में अनुशासनात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाती है जो इसके दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं।
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से CITES स्थायी समिति किसी देश से किसी प्रजाति के निर्यात पर जांच बढ़ाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कन्वेंशन ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं।
- **लाल सैंडर्स प्रजाति को 2004 के आसपास महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध किया गया था।**
- ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल सैंडर्स प्रजाति अवैध कटाई और तस्करी के खतरे में थी, जिसके कारण प्राकृतिक जंगल से उनकी कमी हो गयी थी।

लाल सैंडर्स:

- **रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटालिनस)** एक उच्च बाजार मूल्य वाला पेड़ है, जो आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है।
- यह प्रजाति **1994 से CITES के तहत परिशिष्ट II के रूप में सूचीबद्ध है।**
- हालाँकि, कृत्रिम प्रसार (वृक्षारोपण) से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी कानूनी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है।
- लाल चंदन के लिए आरटीएस प्रक्रिया को हटाने से लाल चंदन उगाने वाले किसानों को बागानों से लाल चंदन की खेती और निर्यात के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- इससे किसानों को स्थायी आय के स्रोत के रूप में अधिक से अधिक लाल चंदन के पेड़ उगाने के लिए प्रेरित करने में भी सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

संदर्भ:जैसा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP-28) के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, देश के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है।

समस्याएँ:

- जलवायु परिवर्तन से रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि होती है, जिससे मौजूदा स्वास्थ्य चुनौतियाँ और भी गंभीर हो जाती हैं।
- बढ़ा हुआ तापमान, गर्मी की लहरें और चरम मौसम की घटनाएं सीधे तौर पर बीमारी और मृत्यु में योगदान करती हैं।
- जलवायु परिवर्तन पोषण को बाधित करता है, काम के घंटे कम करता है और जलवायु-प्रेरित तनाव को बढ़ाता है।
- वैश्विक तापमान में वृद्धि, यदि अनियंत्रित की गयी, तो भारत के कुछ हिस्सों को रहने लायक नहीं रह जाएगा, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाएगा।
- जलवायु परिवर्तन के कारण संचारी और गैर-संचारी रोगों का बोझ बढ़ गया है।
- रोग वाहकों की वृद्धि, संक्रमण के मौसम में बदलाव और नए रोगजनकों का आगमन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है।
- जलवायु परिवर्तन गुर्दे की चोटों और श्वसन समस्याओं सहित गैर-संचारी रोगों को बढ़ा देता है।
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ, जैसे अवसाद और अभिघातजन्य तनाव विकार, अक्सर जलवायु आपात स्थितियों के साथ होती हैं, फिर भी भारत में अपर्याप्त रूप से पहचानी और संबोधित की जाती हैं।
- तीव्र, अनियोजित शहरीकरण शहरी ताप द्वीप प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- खराब नियोजित शहरी स्थान जलवायु-प्रेरित स्वास्थ्य चुनौतियों के बोझ में योगदान करते हैं, वायु प्रदूषण और तनाव जैसे मौजूदा मुद्दों को बढ़ाते हैं।

महत्व:

- जैसे-जैसे 2023 में तापमान अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचेगा, वैश्विक जलवायु आपात स्थितियों की आवृत्ति बढ़ने की उम्मीद है।
- खाद्य सुरक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
- जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच अंतर्संबंध पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, उन जटिल मार्गों को पहचानते हुए जिनके माध्यम से जलवायु भलाई को प्रभावित करती है।
- गैर-संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, के लिए व्यापक प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

समाधान:

- स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों पर डेटा इकट्ठा करने के लिए स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को संशोधित करना।
- कुछ आबादी की बढ़ती भेद्यता को बेहतर ढंग से समझने और संबोधित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक कारकों को शामिल करना।
- शहरी नियोजन, हरित आवरण, जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपस्ट्रीम हस्तक्षेप लागू करना।
- स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानना।
- अनुसंधान निष्कर्षों को नीति विकल्पों में एकीकृत करना, और सार्थक परिवर्तन के लिए राजनीतिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना।

जलवायु वित्त पर OECD रिपोर्ट

प्रसंग: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि आर्थिक रूप से विकसित देश 2021 में विकासशील देशों की जलवायु शमन और अनुकूलन आवश्यकताओं के लिए सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे रह गए।

महत्त्व:

- रिपोर्ट अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा और अन्य सहित समृद्ध देशों के जलवायु वित्त परिप्रेक्ष्य की एक झलक पेश करती है।
- यह संयुक्त अरब अमीरात में COP28 जलवायु वार्ता से पहले महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां जलवायु वित्त एक विवादास्पद मुद्दा होने की उम्मीद है।
- **यह रिपोर्ट 2020 में ग्लासगो में COP26 वार्ता में विकसित देशों द्वारा अनुकूलन वित्त को दोगुना करने की प्रतिज्ञा का अनुसरण करती है। हालाँकि, 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने में विफलता और उसके बाद की कमी जलवायु संकट से निपटने के लिए विकसित देशों की प्रतिबद्धता के संबंध में विकासशील देशों के बीच विश्वास को कम कर सकती है।**

निष्कर्ष:

- विकसित देशों ने 2021 में 89.6 बिलियन डॉलर जुटाए, जो वादे के 100 बिलियन डॉलर से कम है। पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में अनुकूलन के लिए वित्त में 14% की कमी आई।
- सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 2021 में जुटाए गए $73.1 बिलियन में से $49.6 बिलियन ऋण के रूप में प्रदान किए गए थे। ऋणों पर निर्भरता, विशेष रूप से वाणिज्यिक दरों पर, गरीब देशों में ऋण तनाव बढ़ने के बारे में चिंता पैदा करती है।
- UNFCCC को विकसित देशों से जलवायु आवश्यकताओं के लिए **"नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन"** प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसी चिंताएँ हैं कि विकसित राष्ट्र अतिरिक्तता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी विकास सहायता को मोड़ सकते हैं।
- 'जलवायु वित्त' की आम तौर पर सहमत परिभाषा की कमी विकसित देशों को इसे अस्पष्ट रखने की अनुमति देती है। यह अस्पष्टता जांच से बचने के लिए ओडीए और उच्च लागत वाले ऋणों सहित विभिन्न फंडिंग स्रोतों को जलवायु वित्त के रूप में मनमाने ढंग से वर्गीकृत करने में सक्षम बनाती है।
- जलवायु कार्रवाई के लिए निजी वित्तपोषण एक दशक से स्थिर है, जबकि बहुपक्षीय चौनलों से सार्वजनिक वित्तपोषण में वृद्धि हुई है। जलवायु निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में निजी क्षेत्र की अनिच्छा, विशेष रूप से अनुकूलन में, सार्वजनिक वित्त पोषण की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक, विकासशील देशों को जलवायु निवेश में प्रति वर्ष लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी, जो 2026 और 2030 के बीच हर साल लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी। 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य इन बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होता है।

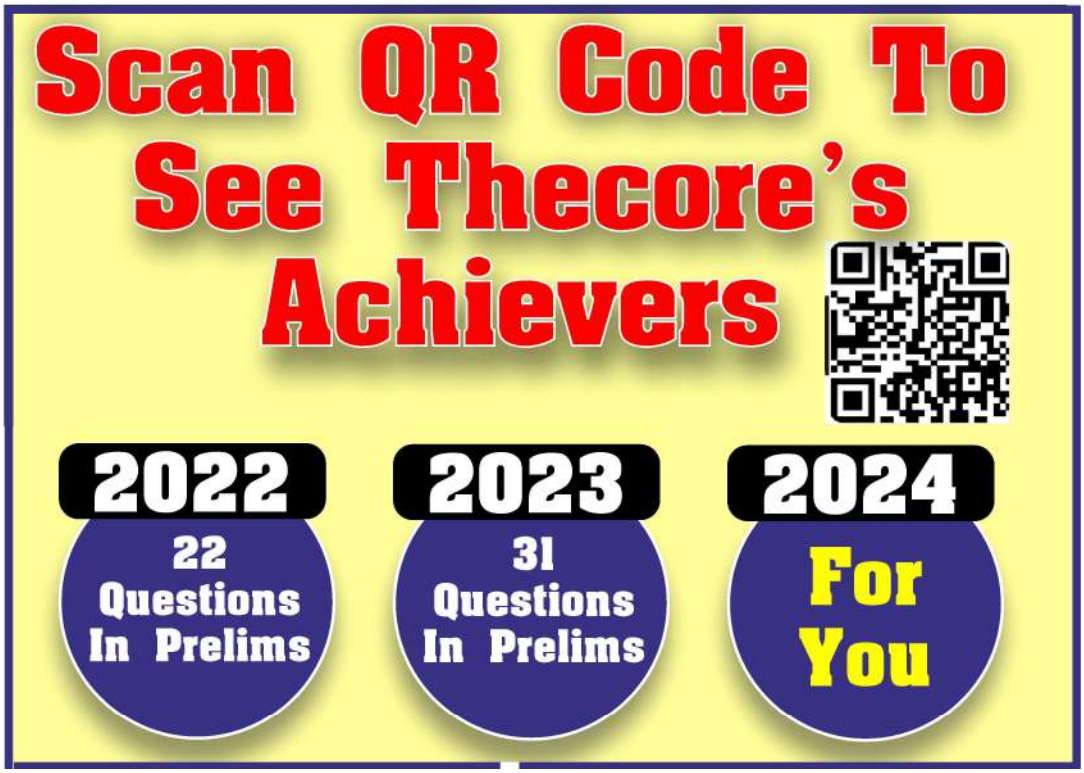

यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर

प्रसंग:

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने अपने **रचनात्मक शहरों के नेटवर्क** में 55 नए शहरों का स्वागत किया है।

कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में मान्यता:

- कोझिकोड यूनेस्को से श्साहित्य के शहरश का प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने वाला पहला भारतीय शहर है।
- केरल साहित्य महोत्सव जैसे प्रमुख साहित्यिक समारोहों की मेजबानी करने का शहर का एक समृद्ध इतिहास है।
- यह मान्यता बौद्धिक आदान-प्रदान और साहित्यिक प्रवचन के केंद्र के रूप में कोझिकोड की भूमिका को रेखांकित करती है।
- कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय हैं और यह मलयालम साहित्य और संस्कृति में योगदान देने वाले एसके पोट्टेक्कट जैसे प्रसिद्ध लेखकों का घर है।

ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में नामित करना:

- 2015 में वाराणसी के बाद ग्वालियर दूसरा भारतीय शहर बन गया, जिसे यूनेस्को द्वारा 'संगीत के शहर' के रूप में नामित किया गया।
- यह शहर भारतीय इतिहास के महान संगीतकार और संगीतकार तानसेन के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है।
- ग्वालियर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली विद्यालय, ग्वालियर घराने का उद्गम स्थल है।
- ग्वालियर में वार्षिक तानसेन संगीत समारोह भारत के सबसे बड़े संगीत समारोहों में से एक है, जो देश और विदेश से उत्साही और कलाकारों को आकर्षित करता है।

यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क:

- **2004 में स्थापित।**
- यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हुए शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह सतत शहरों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप है।
- नेटवर्क में सात रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं: शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत।

यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारतीय शहर:

- **जयपुर: शिल्प और लोक कला (2015)**
- **वाराणसी: संगीत का रचनात्मक शहर (2015)**
- **चेन्नई: संगीत का रचनात्मक शहर (2017)**
- **मुंबई: फिल्म (2019)**
- **हैदराबाद: पाक-कला (2019)**
- **श्रीनगर: शिल्प और लोक कला (2021)**

काशी तमिल संगमम

- काशी तमिल संगमम भारत के साझा इतिहास और संस्कृति के उत्तर और दक्षिण की विभिन्न विशेषताओं का स्मरण कराता है।
- व्यापक लक्ष्य उत्तर और दक्षिण के लोगों की संबंधित ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ लाकर उनके बीच संबंधों को मजबूत करना है।
- इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि सहित अन्य मंत्रालयों के सहयोग से लगाया जा रहा है।
- यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जो वर्ष 2020 तक भारतीय ज्ञान प्रणालियों की समृद्धि को समकालीन ज्ञान प्रणालियों के साथ जोड़ने पर बल देती है।
- कार्यक्रम के दो कार्यान्वयन संगठन **आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू)** हैं।

संथाली भाषा

- संथाली भारत में संथाली जनजाति की भाषा है।
- **संथाली बोलने वाले असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसके वक्ता बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी हैं।**
- यह ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषाओं के मुंडा उपपरिवार से संबंधित है।
- यह भारत की **आठवीं अनुसूची** की भाषाओं में से एक है।
- यह व्यापक रूप से **ओल-चिकी लिपि** में लिखा जाता है जिसे 1925 में संथाली लेखक रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था। उससे पहले, भाषा मुख्यत: मौखिक थी।
- यह अन्य लिपियों जैसे **बंगाली, उड़िया और रोमन लिपियों में भी** लिखी जाती है।

सिंधुदुर्ग किला

- भारतीय नौसेना सिंधुदुर्ग किले में **'परिचालन प्रदर्शन'** करेगी।
- इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1660 में करवाया था।
- किले का **प्राथमिक उद्देश्य यूरोपीय व्यापारियों और जंजीरा के सिद्दियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना** था।

भारतीय राजनीति

प्रसारण सेवाएँ (विनियमन) विधेयक, 2023

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 नवंबर 2023 में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I-B) द्वारा पेश किया गया एक मसौदा विधेयक है। इस विधेयक का उद्देश्य **देश में प्रसारण सेवाओं के लिए मौजूदा नियामक ढांचे को ओवरहाल करना और इसे क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के साथ समन्वय में लाना** है। यह विधेयक केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और वर्तमान में भारत में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अन्य नीति दिशानिर्देशों को बदलने का प्रयास करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **समेकित रूपरेखा:** यह विधेयक रैखिक टेलीविजन, रेडियो और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों सहित सभी प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित ढांचे का प्रावधान करता है।
- **स्व-नियमन:** यह विधेयक विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रसारित सामग्री की निगरानी के लिए एक सामग्री मूल्यांकन समिति और एक प्रसारण सलाहकार परिषद के साथ प्रसारकों के लिए स्व-नियमन की एक प्रणाली पेश करता है।
- **विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच:** यह विधेयक विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रसारण सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए उपशीर्षक, ऑडियो डिस्क्रिप्टर और सांकेतिक भाषा के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।
- **बुनियादी ढाँचा साझा करना:** यह विधेयक लागत कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने को प्रोत्साहित करता है।
- **प्लेटफॉर्म सेवाओं का वहन:** यह विधेयक केबल नेटवर्क पर नेटफ्लिक्स और अमेजॅन प्राइम वीडियो जैसी प्लेटफॉर्म सेवाओं के प्रसारण का प्रावधान करता है।
- **विवाद समाधान तंत्र:** यह विधेयक प्रसारकों, वितरकों और उपभोक्ताओं के बीच शिकायतों को हल करने के लिए एक संरचित विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है।

प्रभाव:

- **बढ़ी सरकारी निगरानी:** यह विधेयक सरकार को प्रसारण सामग्री को विनियमित करने की अधिक शक्ति देता है, जिससे सेंसरशिप संबंधी चिंताएँ पैदा हो सकती हैं।
- **अधिक पारदर्शिता:** विधेयक प्रसारकों को अपने स्वामित्व और वित्तीय जानकारी का खुलासा करने का आदेश देता है, जिससे क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता आ सकती है।
- **बेहतर पहुंच:** पहुंच पर विधेयक के प्रावधान प्रसारण सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दे दी है।
- **पीएम-जनमन में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं।**
- **यह कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।**
- कार्यक्रम के तहत पक्के मकान, कनेक्टिंग सड़कें, पाइप से पानी की आपूर्ति, सामुदायिक जल आपूर्ति, दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, बहुउद्देश्यीय केंद्रों का निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, 0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान, सड़कों और एमपीसी में सौर प्रकाश व्यवस्था, वीडीवीके की स्थापना और मोबाइल टावरों की स्थापना शामिल है।
- इनके अलावा, आयुष कल्याण केंद्र भी आयुष मंत्रालय द्वारा बनाये जाएंगे।

चुनाव आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

प्रसंग:

ECI ने कक्षाओं में चुनावी साक्षरता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विवरण:

- समझौता ज्ञापन स्कूल और कॉलेज शिक्षा प्रणाली में चुनावी साक्षरता को औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए एक संस्थागत ढांचे के विकास पर जोर देता है।
- **यह स्कूलों और कॉलेजों में ECI के प्रमुख सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP) का विस्तार करता है।**
- समझौता ज्ञापन शहरी और युवा लोगों के बीच चुनावी प्रक्रिया के प्रति उदासीनता के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य उन्हें भविष्य के चुनावों में मतदान करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **2019 के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.4% था।** ईसीआई इस आंकड़े में सुधार करना चाहता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक और फिर विश्वविद्यालय स्तर पर भी मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से एकीकृत करना।
- पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन किया जाएगा और चुनावी साक्षरता पर सामग्री शामिल की जाएगी।
- इस संबंध में शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जायेगा।
- स्कूलों और कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब की स्थापना करना।
- छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रत्येक छात्र को मतदाता पहचान पत्र सौंपने के चुनाव आयोग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।
- वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों में चुनावी साक्षरता को शामिल करना।
- मतदाता शिक्षा सामग्री के नियमित प्रदर्शन और पूरे वर्ष सतत चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को **'लोकतंत्र कक्ष'** के रूप में नामित करना।
- विश्वविद्यालय स्तर की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच, संचार और नेतृत्व कौशल विकसित करना, जिसमें सूचित बहस और चर्चा में शामिल होना शामिल है।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए CEDE में भाग लेने वाले छात्रों के लिए क्रेडिट की एक प्रणाली तैयार करना।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

प्रसंग:

केंद्रीय सतर्कता आयोग 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है, जिसका विषय है- **"भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"।**

पृष्ठभूमि:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) **1964 में बनाई गयी एक शीर्ष भारतीय सरकारी संस्था** है।
- CVC की स्थापना सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए श्री के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी।
- CVC अधिनियम, **2003 के अधिनियमन के साथ CVC एक वैधानिक निकाय** बन गया।
- CVC **एक स्वतंत्र निकाय है,** जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है, (यह किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं है)।
- CVC केवल **संसद के प्रति उत्तरदायी** है।
- CVC कोई **जांच एजेंसी नहीं** है।
- CVC सरकारी कार्यालयों में सीबीआई या मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के माध्यम से जांच करवा सकता है।
- भारत के **राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा CVC सदस्यों की नियुक्ति** करते हैं।
- पद की **शपथ राष्ट्रपति द्वारा** दिलाई जाती है।
- **तीन सदस्यीय समिति बनी-**
- **प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता - सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं।**
- सतर्कता आयुक्तों को चार साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त किया जाता है।
- सेवानिवृत्ति पर-वे किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार की एजेंसी में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

CVC के कार्य:

- CVC केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है यह केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समीक्षा और सुधार करने में सलाह देता है।
- CVC भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
- लोकपाल, केंद्र सरकार या व्हिसिल ब्लोअर शिकायतों के संबंध में CVC से संपर्क कर सकते हैं।

- CVC – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत – लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ रिपोर्ट किए गए अपराधों की जांच कर सकता है। (CVC कोई जांच एजेंसी नहीं है)।
- CVC की वार्षिक रिपोर्ट न केवल इसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देती है बल्कि व्यवस्था विफलताओं को भी सामने लाती है जिसके कारण विभिन्न विभागों/संगठनों में भ्रष्टाचार होता है, व्यवस्था में सुधार होता है, विभिन्न निवारक उपाय होते हैं और ऐसे मामले जिनमें आयोग की सलाह की अनदेखी की गयी आदि का निवारण होता है।

CVC की संरचना:

CVC में 3 सदस्य शामिल हैं:

- एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष)
- अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य)

सदस्यों को हटाना (CVC अधिनियम के अनुसार)

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है कि जांच के बाद अधिकारी को राष्ट्रपति के संदर्भ में हटा दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, किसी सदस्य को हटाया जा सकता है यदि सदस्य:

- दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
- केंद्र सरकार के अनुसार ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है।
- अपने कार्यालय के कर्तव्यों से इतर लाभ के पद पर कार्यरत है।
- राष्ट्रपति द्वारा मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण अयोग्य घोषित किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी अनुबंध या समझौते में भाग लेता है / संबंधित है / भाग लेने में रुचि रखता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD)

- NeGD को 2009 में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में बनाया गया था।
- यह प्रभाग कार्यक्रम प्रबंधन और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मंत्रालय का समर्थन करता है और तकनीकी और सलाहकार सहायता प्रदान करता है।
- एनईजीडी के प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम प्रबंधन, परियोजना विकास, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, क्षमता निर्माण, जागरूकता और संचार-संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इसने डिजिटल लॉकर, उमंग, पोषण ट्रैकर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, नेशनल एआई पोर्टल, माईस्कीम, इंडिया स्टैक ग्लोबल, आदि का विकास किया है ।

केंद्रीय सूचना आयोग

- केंद्रीय सूचना आयोग, या CIC, **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय** है।
- केंद्रीय सूचना आयोग का नेतृत्व भारत के मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं और इसमें **अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं।**
- CIC सदस्यों को कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, शासन आदि का व्यापक ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तिगत जीवन के लोग होने चाहिए।
- **राष्ट्रपति समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति करते हैं, जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित संघ के किसी भी कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।**
- केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का **कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तय किया जाता है।**
- वे **पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं** हैं।
- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार पर निर्भर करती हैं।
- **राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर CIC आयुक्त को हटा सकते हैं।**

ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी

- वर्चुअल जी20 लीडर्स समिट के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नेतृत्व वाली दो पहलों की शुरुआत की घोषणा की:
- **ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी (GDPIR)**
  1. यह एक व्यापक संसाधन केंद्र है, जो G 20 सदस्यों और अतिथि देशों से आवश्यक सबक और विशेषज्ञता एकत्र करता है।
  2. इसका प्राथमिक उद्देश्य DPI के डिजाइन, निर्माण, तैनाती और शासन के लिए आवश्यक विकल्पों और कार्यप्रणाली में ज्ञान अंतर को पाटना है।
- **सामाजिक प्रभाव निधि (SIF)**
  - इसकी कल्पना वैश्विक दक्षिण में DPI कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली, बहुहितधारक पहल के रूप में की गयी है।
  - यह फंड DPI व्यवस्था विकसित करने में देशों को अपस्ट्रीम तकनीकी और गैर-तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
  - भारत ने 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रारंभिक प्रतिबद्धता का वादा किया है।

परियोजना सहयोग समझौता

- **WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) और आयुष मंत्रालय संयुक्त रूप से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025-34 के निर्माण का काम पूरा करेंगे।**
- आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ मिलकर पारंपरिक और पूरक चिकित्सा की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ इसे आधुनिक, प्रामाणिक और वैश्विक बनाने की जिम्मेदारी निभाएंगे।
- इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण, गुणवत्ता और सुरक्षा जैसे पहलुओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना है।
- यह समझौता पारंपरिक और पूरक चिकित्सा को भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में मुख्यधारा में लाएगा और वैश्विक स्वास्थ्य उद्देश्यों को भी पूरा करेगा।
- **इसका फोकस दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फार्माकोपिया का विकास करना है।**

G7 (सात का समूह) व्यापार मंत्रियों की बैठक

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जापान के ओसाका में G7 (सात का समूह) व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

मुख्य बिंदु:

- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाना
- सहयोगात्मक विनियामक ढाँचा
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला ढांचा
- सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
- मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)
- उत्पादों की उत्पत्ति के नियम
- व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)

जी7:

- **G7 का अर्थ ग्रुप ऑफ सेवन है, जो एक अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें सात सदस्य देश शामिल हैं।**
- **सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम हैं।**
- इसके सदस्य दुनिया की सबसे बड़ी आईएमएफ उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और सबसे धनी उदार लोकतंत्र हैं
- 2020 तक, सामूहिक समूह का वैश्विक शुद्ध धन का 50% से थोड़ा अधिक (जो कि 418 ट्रिलियन डॉलर है), वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 32 से 46 प्रतिशत है और इसमें लगभग 770 मिलियन लोग या दुनिया की आबादी का 10 प्रतिशत शामिल हैं।

पृष्ठभूमि:

- G7 की **स्थापना 1975 में G6** के रूप में हुई थी, जिसमें उस समय दुनिया के छह सबसे अमीर देश शामिल थे।
- कनाडा 1976 में इस समूह में शामिल हुआ और समूह को G7 के नाम से जाना जाने लगा।
- वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के लिए समूह की सालाना बैठक होती है।
- **G7 के सभी देश G20 का भाग हैं।**
- **G7 के पास कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है।** अध्यक्ष पद, जो प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच घूमता है, एजेंडा निर्धारित करने का प्रभारी होता है। शेरपा, मंत्री और दूत शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत पहलों की रूपरेखा तैयार करते हैं।

उद्देश्य:

- आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर नीतियों का समन्वय करना।
- जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना।

भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता

प्रसंग:

भारत और श्रीलंका ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की वार्ता फिर से शुरू की।

विवरण:

- दोनों पक्षों ने माल में व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, सेवाओं में व्यापार, सीमा प्रक्रिया और व्यापार सुविधा, उत्पत्ति के नियम, व्यापार उपचार, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग और विवाद निपटान पर चर्चा की।
- दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों में चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की और देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभावना को स्वीकार किया।

भारत-सिंगापुर रक्षा नीति संवाद

प्रसंग:

15वीं भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गयी।

विवरण:

- दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्षों ने सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ाने के तरीकों की पहचान की, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में।

सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICSTS)

प्रसंग:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के एक स्वायत्त संगठन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) ने नई दिल्ली में सतत व्यापार और मानकों (ICSTS) पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।

उद्देश्य:

- **ICSTS का उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को बढ़ाने में स्वैच्छिक स्थिरता मानकों की चुनौतियों और फायदों पर जागरूकता पैदा करना और चर्चा की सुविधा प्रदान करना है।**

मुख्य विचार:

ख **ARSO के साथ द्विपक्षीय समझौता:** भारतीय गुणवत्ता परिषद् और अफ्रीकी मानकीकरण संगठन (ARSO) ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने और मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- **अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:** भारत ने ब्राजील और मैक्सिको के साथ साझेदारी स्थापित की और स्वैच्छिक स्थिरता मानकों के क्षेत्र में ARSO के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया।
- **स्थिरता मानकों का महत्व:** यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियमों के रूप में स्थिरता मानकों पर जोर दिया गया कि खरीदे गए उत्पाद पर्यावरण या उनके उत्पादन में शामिल लोगों को नुकसान न पहुंचाएं।
- **ONDC पहल:** ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पहल को भारत के भीतर ई-कॉमर्स में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, डिजिटल युग में पहुंच और दक्षता बढ़ाने में अपनी भूमिका के लिए सुर्खियों में लाया गया था। इसने डेटा गोपनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया।
- **डिजिटल तत्परता आकलन:** QCI को संस्थाओं की डिजिटल तैयारी का आकलन करने, ONDC नेटवर्क के विक्रेता ऐप में उनके सुचारू एकीकरण की सुविधा के लिए नामित किया गया था।
- **कृषि मानकों का संरेखण:** ICSTS के दौरान, राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह (NTWG) तंत्र के माध्यम से भारत के अच्छे कृषि अभ्यास (IndGAP) मानकों की तुलना वैश्विक अच्छे कृषि अभ्यास (GLOBALGAP) मानकों से की गयी। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्याख्या दिशानिर्देश का निर्माण हुआ, जो वैश्विक मानकों के साथ भारतीय कृषि पद्धतियों के संरेखण को सक्षम बनाता है और भारत में उनके आवेदन के लिए दिशानिर्देश पेश करता है।
- **किसानों को लाभ:** इन प्रयासों से यह सुनिश्चित करके लगभग 12,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है कि वे गुणवत्ता और स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं।

भारत-फ्रांस आशय पत्र

प्रसंग:

लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार में भारत-फ्रांस आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर हुए।

विवरण:

- आशय पत्र पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और फ्रांस के सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन और सिविल सेवा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- **आशय पत्र का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों, सुशासन वेबिनार, अनुसंधान प्रकाशनों, संस्थागत आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर केंद्रित आदान-प्रदान यात्राओं के माध्यम से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देना है।**
- इसके तत्वावधान में एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा जो आशय पत्र के अधिदेश को पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार करेगा।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

- QCI 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत **एक गैर-लाभकारी संगठन है।**
- इसके अध्यक्ष को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
- **इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त रूप से भारत सरकार और प्रमुख उद्योग संघों, अर्थात् एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), और फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के बीच सहयोग के माध्यम से की गयी थी।**
- QCI का प्राथमिक उद्देश्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना और बढ़ावा देना है।
- यह भारतीय संदर्भ में मान्यता, प्रमाणन और गुणवत्ता संवर्धन की जिम्मेदारी लेता है।

अन्य बिंदु:

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को गुणवत्ता से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया था।
- DPIIT इस संबंध में कैबिनेट निर्णयों की संरचना और कार्यान्वयन की सुविधा के लिए ऊब के साथ सहयोग करता है।
- QCI एक परिषद के शासन के तहत काम करता है जिसमें अध्यक्ष और महासचिव सहित 39 सदस्य शामिल होते हैं।
- परिषद में सरकार, उद्योग और अन्य हितधारकों का समान प्रतिनिधित्व है, जो गुणवत्ता-संबंधी पहलों के लिए एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

विश्व खाद्य भारत (वर्ल्ड फूड इंडिया) 2023

प्रसंग:

'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया।

विश्व खाद्य भारत 2023

- वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह कार्यक्रम वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रोसेसर, निवेशकों, नीति निर्माताओं और संगठनों सहित विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों को एक साथ लाता है।
- एक लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की जाती है।
- वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभंकर "मिलिंद" है, जो एक प्रोबोट है, जो इस आयोजन का प्रतिनिधित्व करता है।
- वर्ल्ड फूड इंडिया में आयुष आहार पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। सत्र में आयुष आहार के महत्व, आयुष आहार के स्वास्थ्य लाभों आदि पर चर्चा होगी। सत्र में आयुर्वेद को दुनिया भर में आम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। आयुष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों, यूनिकॉर्न के साथ परामर्श और आयुष क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए स्टार्ट-अप पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

फोकस स्तंभ:

- **श्री अन्ना (बाजरा):** विश्व के लिए भारत के सुपर फूड का लाभ उठाना
- भारत को खाद्य प्रसंस्करण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- **भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय।**
- 2003 में भारत द्वारा अनुसमर्थित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर **हेग कन्वेंशन, 1993 के अनुरूप** अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को संभालने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।

कार्य:

- **भारत में "अनाथ, आत्मसमर्पित और परित्यक्त बच्चों" को गोद लेने को विनियमित करने वाली नोडल संस्था।**
- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियाँ, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ, अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ, बाल कल्याण समितियाँ, और जिला बाल सुरक्षा इकाइयाँ जैसी संस्थाओं की निगरानी और विनियमन करती हैं।

भारत में कानूनी ढाँचा:

- एक परिवार के साथ बच्चे का स्थानन **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956,** अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 **द्वारा शासित** होता है।
- बाल देखभाल संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण और सीएआरए से लिंक करना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में उल्लिखित है।

हेग कन्वेंशन:

- कन्वेंशन अंतर-देशीय गोद लेने में शामिल बच्चों और परिवारों के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करता है।
- इसका उद्देश्य गोद लेने के दौरान बच्चों के अवैध अपहरण, बिक्री या तस्करी को रोकना है।

उद्देश्य:

- बच्चों और परिवारों को अवैध या बिना तैयारी के अंतर-देशीय गोद लेने से बचाना।
- बच्चों के अपहरण, बिक्री या तस्करी को रोकना।
- यह स्वीकार करते हुए न्यूनतम मानक स्थापित करना कि यह गोद लेने के एक समान कानून के रूप में काम नहीं करता है।

इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) पहल

- टोक्यो में 2022 क्वाड नेताओं के सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गयी।
- इसे "डार्क शिपिंग" को ट्रैक करने और तीन महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों: प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भागीदार देशों के जल में समुद्री गतिविधियों की अधिक व्यापक और अद्यतन समझ स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

उद्देश्य:

- **इस प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र के भीतर समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करना और इसके महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में पारदर्शिता बढ़ाना है।**
- दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र में भागीदार देशों को उनके समुद्री क्षेत्रों के भीतर होने वाली गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय के डेटा की आपूर्ति करने के लिए वाणिज्यिक उपग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा संग्रह सहित उन्नत तकनीक का उपयोग करता है।

क्वाड के बारे में:

- **क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें चार देश शामिल हैं - भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान।**
- क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना है।
- समूह की पहली बैठक 2007 में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) की तर्ज पर हुई थी।
- इसे समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन माना जाता है।
- इस मंच का रखरखाव सभी सदस्य देशों की बैठकों, अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलनों, सूचना आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यासों के माध्यम से किया जाता है।
- **क्वाड का लक्ष्य हिंद-प्रशांत में रणनीतिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है।**
- **क्वाड का मुख्य उद्देश्य नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित करना है।**

- गठबंधन का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण वित्तपोषण की प्रस्तुति करना भी है।

उद्देश्य:

- **क्वाड कोई सुरक्षा या सैन्य साझेदारी नहीं है।**
- इसका उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में प्रमुख प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो
- यह अपने सदस्यों के साझा मूल्यों को बढ़ावा देता है और भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को रेखांकित करता है।
- अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि "हम समुद्री सहित विभिन्न मुद्दे क्षेत्रों पर खुले संवाद और सूचना साझाकरण के माध्यम से कानून के शासन, नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने के लिए काम करते हैं।" सुरक्षा।

महत्व:

- दुनिया के एक बड़े हिस्से में टीकाकरण करने में सहायता करना और वहां ढेर सारे टीके उपलब्ध कराना;
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आक्रामकता और जोर-जबरदस्ती से निपटने के लिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना;
- उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक साथ काम करना और यह सुनिश्चित करना कि उनका उपयोग सकारात्मक तरीकों और तेजी से व्यापक और गहरे एजेंडे में किया जा सके।
- यह इंडो-पैसिफिक के लिए अपने साझा दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में कई गतिविधियों/प्लेटफार्मों का भी समर्थन करता है।

भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता

- वाणिज्यिक संवाद भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तर पर एक सहकारी उपक्रम है, जो व्यापारिक समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए नियमित चर्चा की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें निजी क्षेत्र की बैठकों के साथ-साथ नियमित सरकार-दर-सरकार बैठकें शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक क्षेत्रों में व्यापार को सुविधाजनक बनाना और निवेश के अवसरों को अधिकतम करना है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग

भारत नई दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

विवरण:

- इस सम्मेलन की **मेजबानी पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा** की जा रही है।
- एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग में भारत सहित **36 सदस्य देश** हैं।
- सम्मेलन अपने सदस्य देशों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के निजी क्षेत्र और निजी पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा।

महत्व:

- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियाँ मानव-पशु-पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती हैं।
- कोविड-19 महामारी ने भविष्य की चुनौतियों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं में लचीलापन और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
- इसलिए, संभावित महामारी की कमजोरियों से बचने के लिए, एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग जैसे सम्मेलन प्रतिनिधियों, आमंत्रित विशेषज्ञों और प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों के बीच निकट संपर्क, सक्रिय संवाद और सार्थक बहस की सुविधा प्रदान करेंगे और मूल्यवान चर्चाओं को बढ़ावा देंगे और आवश्यक नेटवर्किंग संबंध बनाएंगे।

एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग:

- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्यों के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं को व्यक्त करने के लिए पांच क्षेत्रीय आयोगों की स्थापना की है। इन आयोगों को पूर्ण रूप से क्षेत्रीय संस्थागत निकायों के रूप में देखा जा सकता है।
- एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय आयोग क्षेत्र के किसी एक देश में हर **दो साल में एक बार एक सम्मेलन** आयोजित करता है।
- इन सम्मेलनों का उद्देश्य पशु रोगों के नियंत्रण के लिए तकनीकी वस्तुओं को विकसित करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रमुख रोग निगरानी और नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर भी विचार किया जाता है।
- क्षेत्रीय आयोग अपनी गतिविधियों पर रिपोर्ट करते हैं और प्रतिनिधियों की विश्व सभा को सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं।

भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता

- भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक मुख्यालय में आयोजित की गयी।

- बैठक में तेल और ऊर्जा बाजारों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया, जो ऊर्जा बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
- पक्षों ने वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2023 पर गौर किया, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, 2022 और 2045 के बीच 6.1% की औसत दीर्घकालिक वृद्धि होगी और इसी अवधि के दौरान वृद्धिशील वैश्विक ऊर्जा मांग में 28% से अधिक की हिस्सेदारी होगी। .

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय (NHCX)

- यह **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित** एक डिजिटल स्वास्थ्य दावा मंच है।
- IRDAI ने जून 2023 में एक परिपत्र जारी किया जिसमें उसने सभी बीमाकर्ताओं और प्रदाताओं को NHCX को शामिल करने की सलाह दी।
- NHCX स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच दावों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा।
- NHCX के साथ एकीकरण से स्वास्थ्य दावों के प्रसंस्करण में निर्बाध अंतरसंचालनीयता की सुविधा मिलेगी, जिससे बीमा उद्योग में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे पॉलिसीधारकों और रोगियों को लाभ होगा।

इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा

यह एक अद्वितीय प्रकार का व्यापार समझौता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र की सरकारों के बीच आगे बढ़ा रहा है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के भू-रणनीतिक पदचिह्न के लिए एक आर्थिक वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के लिए 2022 में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) का उद्घाटन किया।

IPEF हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, सतत विकास, समावेशिता, आर्थिक विस्तार, निष्पक्ष व्यवहार और प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाने के लिए सभी भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

बारह प्रारंभिक साझेदारों के साथ IPEF, जो सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा है।

एक संयुक्त बयान के अनुसार, राष्ट्रों ने अर्थव्यवस्था में निरंतर और समावेशी विकास की क्षमता के साथ एक स्वतंत्र, सुलभ, पारदर्शी, समावेशी, परस्पर जुड़े, मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र बनाने का दृढ़ संकल्प साझा किया।

IPEF के चार स्तंभ हैं:

- **व्यापार**
- **सप्लाई श्रृंखला**
- **स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचा**
- **कर और भ्रष्टाचार विरोधी**

महत्व:

विनिर्माण, व्यावसायिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश सभी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के आसपास केंद्रित हैं। सहस्राब्दियों से, भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र के वाणिज्यिक संचालन में एक प्रमुख केंद्र रहा है। परिणामस्वरूप, क्षेत्र की आर्थिक कठिनाइयों के लिए साझा और नवीन उत्तर खोजना महत्वपूर्ण है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र दुनिया की आधी आबादी के साथ-साथ विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक का घर है। यह क्षेत्र में अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व के पुनर्निर्माण और भारत-प्रशांत देशों को इन प्रमुख चुनौतियों के लिए चीन के दृष्टिकोण के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समस्याएँ:

- **गैर-प्रशुल्क बाधाएं:**
  1. IPEF सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपायों और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए एक अच्छे मंच के रूप में कार्य कर सकता है।
  2. **गैर-प्रशुल्क बाधाएं:** यह टैरिफ के अलावा किसी अन्य रूप में व्यापार बाधाओं का उपयोग करके व्यापार को प्रतिबंधित करने का एक तरीका है। गैर टैरिफ बाधाओं में कोटा, प्रतिबंध, प्रमाणपत्र, प्रतिबंध, लेवी और अन्य प्रतिबंध शामिल हैं।
- **विकासशील देशों में MSME** गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण IPEF जैसे प्लेटफार्मों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। और इसलिए इन मतभेदों को दूर करने से भारत जैसे देशों को बढ़ावा मिल सकता है।
- IPEF माल की स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए एक मानकीकृत ढांचा विकसित करने पर विचार कर सकता है, जिसे समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।
  1. अत्यधिक उच्च मानकों को लागू करने के बजाय, दक्षिण में विकासशील देशों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में सहायता करने के लिए क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता

और ज्ञान-साझाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- IPEF सदस्य देशों के भीतर सार्वजनिक विकास बैंकों (पीडीबी) की उपस्थिति एक उत्प्रेरक प्रभाव डाल सकती है, बशर्ते कि इन इंडो-पैसिफिक देशों का आर्थिक ढांचा उचित रूप से डिजाइन किया गया हो।
- IPEF के उद्देश्यों के अनुरूप रणनीतिक परियोजनाओं के लिए पर्याप्त सरकारी समर्थन के साथ पीडीबी का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, विकसित और विकासशील देशों के बीच संबंध मजबूत किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (ISO)

- ISO विश्वव्यापी चीनी बाजार की गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अंतरसरकारी इकाई के रूप में कार्य करता है।
- वैश्विक चीनी उत्पादन का 87% और खपत का 64% प्रतिनिधित्व करते हुए, संगठन भारत सहित लगभग 88 देशों की विविध सदस्यता का दावा करता है।
- ISO द्वारा प्रशासित, ISA का उद्देश्य चीनी से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, वैश्विक चीनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकारों के बीच चर्चा को प्रोत्साहित करना, बाजार की जानकारी का प्रसार करना और विविध चीनी उपयोग को बढ़ावा देना है।

भारत में चीनी उद्योग

- भारत ने वैश्विक मंच पर चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। दुनिया भर में चीनी की खपत में 15% की उल्लेखनीय हिस्सेदारी का दावा करते हुए और 20% की मजबूत उत्पादन दर बनाए रखते हुए, भारत अंतरराष्ट्रीय चीनी गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
- चीनी के क्षेत्र में पूर्वी गोलार्ध के बाजार नेता के रूप में काम करते हुए, भारत पश्चिमी गोलार्ध में ब्राजील की प्रमुख उपस्थिति का पूरक है। यह दोहरा नेतृत्व वैश्विक चीनी परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

भौगोलिक स्थितियाँ:

- **तापमान और जलवायु:** चीनी की वृद्धि 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वाले क्षेत्रों में होती है, साथ ही गर्म और आर्द्र जलवायु भी होती है - जो गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है।
- **वर्षा:** चीनी की खेती में एक महत्वपूर्ण कारक, वर्षा की इष्टतम सीमा 75-100 सेमी के बीच होती है, जिससे गन्ने की वृद्धि के लिए आवश्यक पर्याप्त नमी सुनिश्चित होती है।
- **मिट्टी के प्रकार:** गहरी और समृद्ध दोमट मिट्टी चीनी की खेती के लिए पसंदीदा माध्यम के रूप में कार्य करती है, जो गन्ने की फलती-फूलती फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है।

वितरण और उत्पादन क्षेत्र:

- **उत्तरी पेटी:** उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों को शामिल करते हुए, उत्तरी बेल्ट भारत में चीनी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में खड़ा है।
- **दक्षिणी पेटी:** महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला दक्षिणी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु का लाभ उठाता है। यह क्षेत्र फसलों में उच्च सुक्रोज सामग्री के लिए अनुकूल है, जो उत्तरी भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में पैदावार में वृद्धि का अनुवाद करता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच अलग-अलग जलवायु परिस्थितियाँ चीनी उत्पादन में क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान करती हैं, दक्षिणी पेटी अपनी उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण उपज और गुणवत्ता के मामले में लाभ उठा रहा है।

***

योजना

यंत्र

- **यंत्र एक ऐसा मंच है, जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने के साथ-साथ इलाज में आयुष चिकित्सा प्रणाली की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने और पुनर्जीवित करने के लिए जिग्नासा के साथ NIMHANS द्वारा समर्थित है।**
- चिकित्सा की आयुष प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, चाहे वह आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्पा या होम्योपैथी हो, इस मंच का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आयुष प्रणालियों को मुख्यधारा बनाना है।

परख

- राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण द्वारा परख मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में दक्षताओं को विकसित करने में आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए आयोजित किया गया था।
- **इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य भाषा और गणित पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ प्रत्येक शैक्षिक चरण के अंत में, यानी बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य (कक्षा 3, 6 और 9) में छात्रों की सीखने की दक्षता का आकलन करना है।**
- इस सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल के कार्यान्वयन को बढ़ावा देगी।

परख क्या है?

- **PARAKH का अर्थ समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण है।**
- परख को **राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा** भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- इसे भारत के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए मानक स्थापित करने और मानदंड निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाना है।
- इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दायरे में लॉन्च किया गया है।
- यह राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण सहित बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करेगा।
- यह केंद्र प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी और प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी जैसे अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन में भारत की भागीदारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

उद्देश्य:

- यह नीति निर्माण की प्रक्रिया, मूल्यांकन मानदंड और मूल्यांकन कौशल निर्धारित करने पर केंद्रित है।
- इसके लक्ष्य हैं:
  1. आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना
  2. उद्योग से जुड़ी शिक्षा प्रदान करना
  3. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना

महत्व:

- यह सभी संबंधित हितधारकों की बातचीत के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगा।
- यह एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करेगा जो एक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करता है जो छात्र मूल्यांकन में प्रदर्शन और समानता में समानता को बढ़ावा देता है।
- यह भारत की शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटने की संस्कृति का पुनर्मूल्यांकन करेगा।
- यह इस बात पर जोर देगा कि एक छात्र की क्षमताओं और क्षमता के कई आयाम एक बच्चे की समग्र शिक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- यह रचनात्मक और योगात्मक आकलन के बीच संतुलन बनाएगा। यह उच्च जोखिम वाली परीक्षाओं के बोझ को और कम करेगा और एक छात्र की प्रगति को प्रभावी ढंग से मापेगा।
- परख सीबीएसई स्कूलों के छात्रों की तुलना में कॉलेज प्रवेश के दौरान कुछ राज्य बोर्डों के छात्रों को नुकसान होने के मुद्दे को संबोधित करेंगे।
- यह विभिन्न बोर्डों के बीच एकरूपता लाएगा और व्यापक असमानताओं को कम करेगा।

परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से विकास, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना

- नीति आयोग परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी - DPI के माध्यम से विकास, प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने पर कार्यशाला आयोजित करेगा।
- यह कार्यशाला G-20 की नई दिल्ली उद्घोषणा में उल्लिखित उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए आगे के रास्ते और आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के लिए DPI क्षेत्र में विशेषज्ञों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, थिंक-टैंक के प्रतिनिधियों और सरकार के विभिन्न विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करेगी।

इसे निम्नलिखित चार खंडों में विभाजित किया जाएगा:

1. **लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल पहचान:** डिजिटल पहचान किसी भी सुविचारित DPI पारिस्थितिकी तंत्र की नींव है क्योंकि यह नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी लाभों और सेवाओं को अनलॉक करने की कुंजी है और समावेशन के लिए एक प्रमुख त्वरक है। यह खंड डिजिटल पहचान प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मार्गों का पता लगाएगा और डिजिटल पहचान प्रणालियों की चिंताओं, रणनीतियों, मानकों और नियामक संरचनाओं पर विचार-विमर्श करेगा।
2. **भुगतान: डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** UPI प्लेटफॉर्म भारत में डिजिटल भुगतान की तेजी से वृद्धि का चालक रहा है। UPI ने वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाते हुए डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यह खंड भारत में UPI की सफलताओं, अन्य देशों में UPI की प्रतिकृति और UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चर्चा करेगा।
3. **डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA): भारत को एआई मॉडल-निर्माण राष्ट्र बनने में सहायता करने के लिए एक DPI के नेतृत्व वाला दृष्टिकोण:** यह खंड विभिन्न हितधारकों के लिए डीईपीए के निहितार्थ, एआई में नियामक चुनौतियों, डेटा साझाकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचे की संभावनाओं और एआई विकास में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे नैतिक विचारों पर प्रकाश डालेगा।
4. **अनलॉकिंग के अवसर: खुले नेटवर्क की शक्ति:** यह खंड डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से आकार देने में खुले नेटवर्क की भूमिका, खुले नेटवर्क के कार्यान्वयन में चुनौतियों और खुले नेटवर्क के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रास्ते का पता लगाएगा।

यह कार्यशाला उद्योग, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लिए लागू कानूनी ढांचे का सम्मान करते हुए सभी देशों के भीतर सक्षम, समावेशी, खुली, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, सुरक्षित और लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के लिए सहयोग करने और एक रोडमैप डिजाइन करने का अवसर होगी।

जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

प्रसंग:

हाल ही में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक युवा प्रतिनिधिमंडल, जो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (TYEP) में भाग ले रहे हैं, ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

द्वारा आयोजित:

जनजातीय युवाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र संगठन।

उद्देश्य:

- **सांस्कृतिक शिक्षा**
- **उन्नति के प्रति एक्सपोजर**
- **विरासत का संरक्षण**
- **सहकर्मी-बातचीत**
- **इंटरैक्शन**
- **व्यक्तित्व विकास**
- **उद्योग के प्रति एक्सपोजर**
- **विकास योजनाओं पर साहित्य**

जल दिवाली - "महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान"

- **आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ साझेदारी में अपनी प्रमुख योजना - अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एक प्रगतिशील पहल "महिलाओं के लिए पानी, महिलाओं के लिए पानी अभियान" का अनावरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ओडिशा अर्बन एकेडमी नॉलेज पार्टनर है।**
- अभियान का उद्देश्य जल प्रशासन में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उन्हें अपने संबंधित शहरों में जल उपचार संयंत्रों के दौरे के माध्यम से जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाएगा। ये दौरे घरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने में शामिल

महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को स्पष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मिलेगी जो यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को आवश्यक गुणवत्ता का पानी मिले। अभियान का व्यापक लक्ष्य महिलाओं में जल बुनियादी ढांचे के प्रति स्वामित्व और अपनेपन की भावना पैदा करना है।

- घरेलू जल प्रबंधन में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जल उपचार प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी के साथ महिलाओं को सशक्त बनाकर, डवभ्न का लक्ष्य उनके घरों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना है। अभियान का उद्देश्य पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता के मुद्दों को संबोधित करना है।
- "पानी के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए पानी अभियान", "जल दिवाली" के चरण I में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (आदर्श आचार संहिता के तहत 5 राज्यों को छोड़कर) की भागीदारी होगी, जिसमें 15,000 से अधिक SHG महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी होगी। राष्ट्रव्यापी अभियान के फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

1. **महिलाओं को जल उपचार संयंत्रों और जल परीक्षण सुविधाओं की कार्यप्रणाली से परिचित कराना।**
2. **महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों और लेखों के माध्यम से समावेशिता और भागीदारी को बढ़ावा देना।**
3. **महिलाओं को अमृत योजना और जल बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव के बारे में परिचित और शिक्षित करना।**

- अभियान के प्रत्याशित परिणामों में जल उपचार पर जागरूकता और ज्ञान में वृद्धि, स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना, समावेशिता को बढ़ावा देना, SHG का सशक्तिकरण, सकारात्मक सामुदायिक प्रभाव और भविष्य की पहल के लिए मॉडल शामिल हैं।
- MoHUA ने सभी राज्य और शहर के अधिकारियों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन करने का आह्वान किया है, जो AMRUT के तहत जल बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान (DLC) 2.0

प्रसंग:

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 50 लाख डीएलसी के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 शुरू किया गया था।

विवरण:

- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के **'जीवनयापन में आसानी'** के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) यानी जीवन प्रमाण को बढ़ावा दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ विभाग UIDAI के साथ मिलकर आधार डेटाबेस पर आधारित एक चेहरा पहचान तकनीक व्यवस्था विकसित कर रहा है, जिससे किसी भी एंड्रॉइड-आधारित स्मार्टफोन से जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव हो जाएगा।
- इस सुविधा के अनुसार, चेहरा पहचान तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
- **नवंबर 2021 में लॉन्च की गयी इस तकनीक** ने पेंशनभोगियों की बाहरी बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया।

कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP)

दीक्षा:

- **2012 से भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया।**
- **उत्तर पूर्वी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वयन।**

फोकस:

- समुदायों के कानूनी सशक्तिकरण, स्थानीय भाषाओं में सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री के प्रसार और पंचायती राज पदाधिकारियों और ग्राम प्रमुखों की क्षमता विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया है।

लक्ष्य:

- इसका लक्ष्य समाज के गरीबों और वंचित वर्गों को न्याय सेवाओं की तलाश और मांग करने के लिए सशक्त बनाना है।
- **'डिजाइनिंग इनोवेटिंग सॉल्यूशंस एंड होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (दिशा)' नाम का कार्यक्रम 2021 से 2026 की अवधि के लिए तैयार किया गया है।**

उद्देश्य:

- कानूनी साक्षरता, ज्ञान उत्पादों की बेहतर डिलीवरी और नवीन एवं समग्र विचारों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- कानूनी साक्षरता को मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालयों, संबद्ध विभागों, संस्थानों और स्कूलों में साझेदारी बनाना।
- मौजूदा जमीनी स्तर/अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की क्षमताओं का निर्माण और वृद्धि करना।
- भारत में कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता को मापने के लिए संकेतक विकसित करना।
- प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन और मूल्यांकन करना।

CITIIS 2.0

प्रसंग:

केंद्र सरकार ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जो शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं का समर्थन करना चाहता है।

कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गयी है।

CITIIS 1.0 के बारे में:

CITIIS, स्मार्ट सिटीज मिशन का एक उप-घटक, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, एजेंस फ्रैन्काइज डे डेवलपमेंट (AFD), यूरोपीय संघ (EU) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) का एक संयुक्त कार्यक्रम है। CITIIS 1.0 को 2018 में लॉन्च किया गया था और इसने भारत भर के 12 शहरों को टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहायता प्रदान की।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

प्रसंग:

हाल ही में, **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** ने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) योजना के तहत झींगा और मछली पालन के लिए एक्वाकल्चर फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा की है।

के बारे में:

- पांच साल (2020-2025) की अवधि में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए 2020 में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी PMMSY) शुरू की गयी थी।
- **यह कुल 20050 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने की एक व्यापक योजना है।**

अवयव

- गैर-लाभार्थी-उन्मुख योजना और लाभार्थी-उन्मुख योजना के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक (सामान्य श्रेणी के लिए केंद्रीय सहायता - 40%; एससी/एसटी/महिलाएं - 60%)।
- एक गैर-लाभार्थी-उन्मुख योजना और लाभार्थी-उन्मुख योजना के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक भी। फंडिंग के विभिन्न विवरण इस प्रकार हैं: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता - 90%, अन्य राज्यों के लिए - 60%; और केंद्रशासित प्रदेश - 100%।

बीमा कवरेज:

- आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए रु. 5,00,000/-
- स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए रु. 2,50,000/-
- दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च रु. 25,000/-

उद्देश्य:

- मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों का विकास करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना।
- मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि और जल संसाधनों का कुशल उपयोग करना।
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार को ध्यान में रखते हुए मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना।

- मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुनी करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार पैदा करना।
- समग्र कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और निर्यात में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना।
- मछली पालकों और मछुआरों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक सुरक्षा प्रदान करना।
- एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक ढांचा विकसित करना।

IREDA ने CSR पहल में पारदर्शिता में सुधार के लिए CSR पोर्टल लॉन्च किया

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) ने अपनी CSR पहल में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल विभिन्न संगठनों और संस्थानों से CSR अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करेगा। CSR अनुरोधों की जांच के लिए CSR नीति और प्रस्ताव चेकलिस्ट के साथ यह सभी के लिए 24×7 उपलब्ध होगा। यह पोर्टल अपने CSR प्रयासों के हिस्से के रूप में IREDA की सामाजिक कल्याण पहलों के अधिक कुशल निष्पादन में भी योगदान देगा, जिससे वे जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और सिडबी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

यह रणनीतिक साझेदारी स्वयं सहायता समूहों (SHG) के अनुभवी सदस्यों के बीच महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल बनाने के लिए DAY-NRLM और सिडबी की विशेषज्ञता को एक साथ लाती है। इस सहयोग का प्राथमिक फोकस उन जमीनी गतिविधियों को प्रदर्शित करना है जो महिला उद्यमियों की क्षमता वृद्धि के लिए एक विश्वसनीय और संवेदनशील समर्थन संरचना स्थापित करती हैं। इसके अलावा, इसका उद्देश्य औपचारिक वित्त तक सुव्यवस्थित पहुंच के लिए मानक प्रोटोकॉल, व्यवस्था और प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाना है, साथ ही नए वित्तीय उत्पादों और योजनाओं के लिए एक व्यापक ढांचे का विकास करना है।

इस सहयोग से अपेक्षित प्रमुख परिणाम हैं:

- **अनुभवी SHG सदस्यों को सूक्ष्म उद्यमियों में बदलने को बढ़ावा देने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बढ़ी हुई क्षमता।**
- **महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक विश्वसनीय और संवेदनशील समर्थन वास्तुकला की स्थापना, जिसमें फील्ड कैडर, सलाहकार और विशेषज्ञों का एक नेटवर्क शामिल है।**
- **महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का समर्थन करने के लिए DAY-NRLM के भीतर मानकीकृत प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन।**
- **वित्तीय संस्थानों और फाइनेंसरों के नेटवर्क के साथ साझेदारी का गठन।**
- **नई वित्तीय योजनाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, जैसे क्रेडिट गारंटी और ब्याज छूट।**
- **महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट, स्केलेबल मॉडल का निर्माण, जिसे देश भर में दोहराया जा सकता है।**

यह रणनीतिक साझेदारी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उद्यमशीलता परिदृश्य को अधिक समावेशी और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए सहायक बनाने पर केंद्रित है। DAY-NRLM और SIDBI की शक्तियों को मिलाकर, यह पहल महिला उद्यमियों के लिए नए रास्ते खोलना चाहती है, जो अंततः देश की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान देगी।

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023

यह भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक अभूतपूर्व पहल है जिसका उद्देश्य **डिजिटल विज्ञापन परिदृश्य को विनियमित और सुव्यवस्थित करना** है। नवंबर 2023 में स्वीकृत यह व्यापक नीति डिजिटल विज्ञापन के विभिन्न पहलुओं को

शामिल करती है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का पैनलीकरण, दर खोज, सामग्री दिशानिर्देश और विवाद समाधान तंत्र शामिल हैं।

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 भारत में डिजिटल विज्ञापन परिदृश्य को विनियमित और सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। इससे उद्योग में पारदर्शिता, दक्षता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकारी विज्ञापनों की पहुंच बढ़ाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने की उम्मीद है।

प्रमुख उद्देश्य:

- डिजिटल विज्ञापन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना: नीति दर खोज के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र पेश करती है, जिससे उचित मूल्य निर्धारण और विज्ञापन लागतों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- सरकारी विज्ञापनों की पहुंच का विस्तार करें: वेबसाइटों, ओटीटी (ओवर-द-टॉप) सेवाओं और पॉडकास्ट सहित डिजिटल प्लेटफार्मों की एक विस्तृत श्रृंखला को सूचीबद्ध करके, नीति सरकार को बड़े दर्शकों तक पहुंचने और प्रभावी ढंग से जानकारी प्रसारित करने में सक्षम बनाती है।
- नैतिक और जिम्मेदार डिजिटल विज्ञापन को बढ़ावा देना: नीति सामग्री मॉडरेशन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करती है और भ्रामक या भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाती है।
- केंद्रीय संचार ब्यूरो को सशक्त बनाना: यह नीति डिजिटल विज्ञापन अभियानों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और निष्पादित करने के लिए सरकार की विज्ञापन शाखा सीबीसी को सशक्त बनाती है।

महत्वपूर्ण विशेषताएँ:

- **पैनल बनाने की प्रक्रिया:** प्रति माह न्यूनतम 2.5 लाख अद्वितीय उपयोगकर्ताओं वाली वेबसाइटें, ओटीटी प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट सीबीसी के साथ पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **दर निर्धारण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली:** पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरें निर्धारित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
- **सामग्री मॉडरेशन दिशानिर्देश:** विज्ञापनदाताओं को उन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जो भ्रामक, भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं।
- **विवाद समाधान तंत्र:** विज्ञापनदाताओं, प्लेटफार्मों और उपभोक्ताओं के बीच शिकायतों के समाधान के लिए एक संरचित विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया है।

प्रभाव:

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 का भारत में डिजिटल विज्ञापन उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसके कारण होने की संभावना है:

- **डिजिटल विज्ञापन में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि:** प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र और स्पष्ट दिशानिर्देशों से डिजिटल विज्ञापन बाजार में अधिक पारदर्शिता और दक्षता आने की संभावना है।
- **सरकारी विज्ञापनों के लिए व्यापक पहुंच:** डिजिटल प्लेटफार्मों की एक विस्तृत श्रृंखला के पैनल में शामिल होने से सरकार को बड़े दर्शकों तक पहुंचने और अपने सार्वजनिक सेवा अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- **बेहतर उपभोक्ता संरक्षण:** सामग्री मॉडरेशन दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को भ्रामक या भ्रामक विज्ञापनों से बचाने की संभावना रखते हैं।
- **सशक्त केंद्रीय संचार ब्यूरो:** डिजिटल विज्ञापन अभियानों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और निष्पादित करने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के पास एक मजबूत जनादेश होगा।

साथी पोर्टल

- शिक्षा मंत्रालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को नए लॉन्च किए गए SATHEE (प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्व-मूल्यांकन परीक्षण और सहायता) पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखने की योजना बना रहा है।
- **SATHEE पोर्टल, मंत्रालय और IIT-कानपुर द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, मुफ्त में उपलब्ध है और इसका उद्देश्य उन छात्रों के लिए बाधा को दूर करना है जो भुगतान प्रशिक्षण कार्यक्रम का खर्च वहन नहीं कर सकते।**
- SATHEE, JEE उम्मीदवारों के लिए लाइव और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, विशेषज्ञ रूप से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम और संदेह-समाधान सत्र के साथ 45-दिवसीय क्रैश कोर्स प्रदान करता है।

- प्लेटफॉर्म छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है, प्रत्येक छात्र के लिए सीखने की गति को अनुकूलित करता है।
- एक लाख छात्रों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ लगभग 5,000 छात्रों ने मंच पर पंजीकरण कराया है।
- JEE के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रारूप का पालन करते हुए पैन-इंडिया मॉक टेस्ट आयोजित किए जाते हैं।
- यह पहल पूरे देश में समावेशी, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य के अनुरूप है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है।

सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना के रूप में लागू किया गया था जहां एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती थी।

यह योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गयी थी।

सरकार ने 2019 में गोरखपुर में पीएम-किसान योजना शुरू की।

इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना पर कुल वार्षिक खर्च 75,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- सभी पात्र भूमि धारक किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।
- पीएम-किसान योजना का उद्देश्य अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आगतों को खरीदने में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
- इस योजना से पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य रुपये के अनुमानित व्यय के साथ लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को कवर करना है। 87,217.50 करोड़ रुपये का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

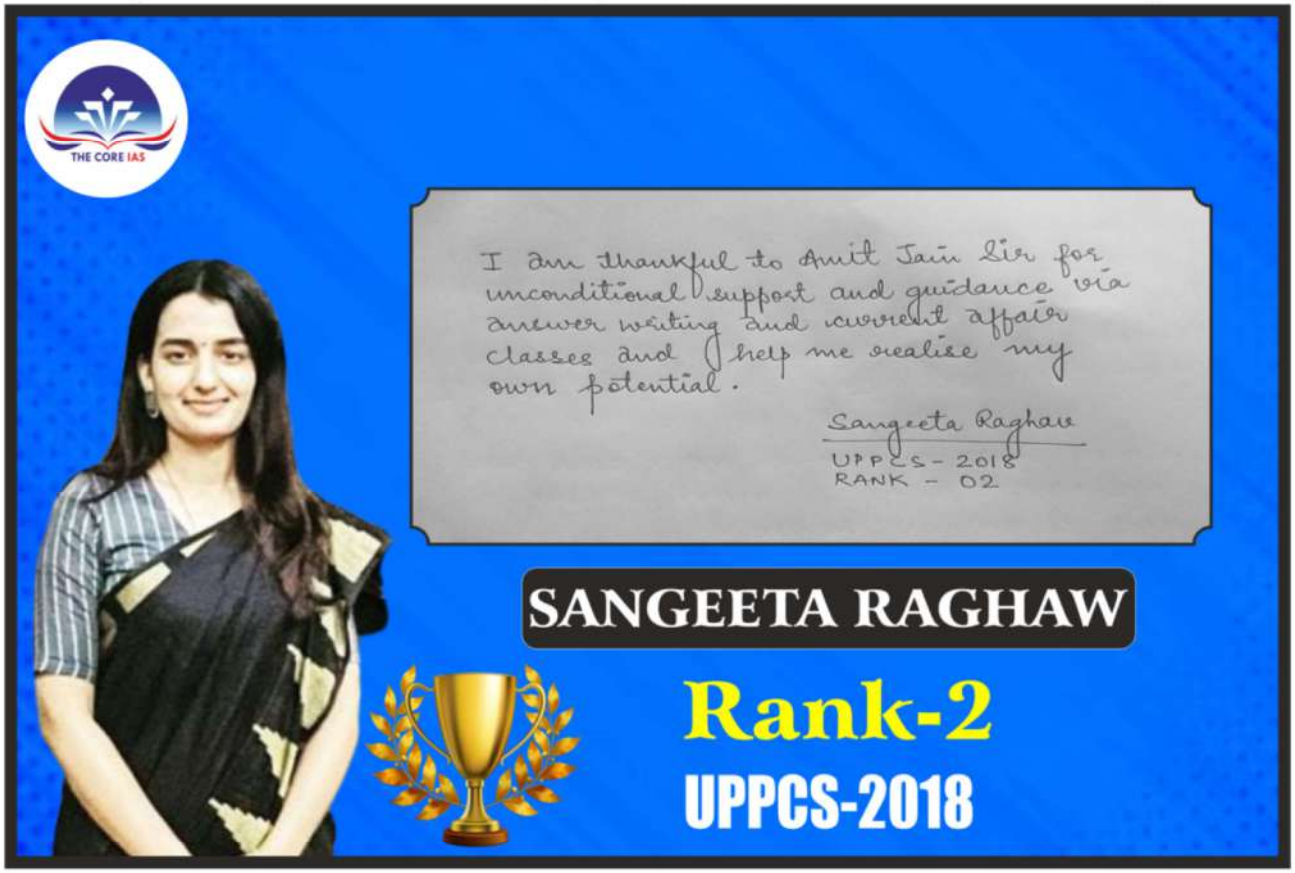

रिपोर्ट / सूचकांक

वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023

प्रसंग:

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की।

भारत की प्रगति की मुख्य विशेषताएँ:

- WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत ने मामलों का पता लगाने में सुधार करने और टीबी कार्यक्रम पर COVID-19 के प्रभाव को उलटने में जबरदस्त प्रगति की है।
- भारत ने तपेदिक (टीबी) के मामलों का पता लगाने में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अनुमानित टीबी मामलों में उपचार कवरेज बढ़कर 80% हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाता है।
- भारत 2015 की तुलना में 2022 में टीबी की घटनाओं को 16% तक कम करने में कामयाब रहा है। यह कमी टीबी की घटनाओं में गिरावट की वैश्विक दर से लगभग दोगुनी है, जो 8.7% है।
- इसी अवधि के दौरान भारत और वैश्विक टीबी मृत्यु दर दोनों में 18% की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के लिए टीबी मृत्यु दर को संशोधित किया, जिससे उन्हें 34% से अधिक कम करके 2021 में 4.94 लाख से 2022 में 3.31 लाख कर दिया गया।
- भारत और WHO ने डेटा को परिष्कृत करने और अंतिम रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग किया, जिसमें तकनीकी टीमों के बीच 50 से अधिक बैठकें हुईं। डेटा में देश के भीतर उत्पन्न साक्ष्य, गणितीय मॉडलिंग और नि-क्षय पोर्टल से जानकारी शामिल है, जो टीबी रोगियों के उपचार पाठ्यक्रम को ट्रैक करता है।
- **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को** जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 1 लाख से अधिक निक्षय मित्रों ने 11 लाख से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया है। नि-क्षय पोषण योजना ने 2018 में लॉन्च होने के बाद से 95 लाख से अधिक टीबी रोगियों को लगभग 2613 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। परिवार देखभाल दाता मॉडल और विभेदित देखभाल जैसी नई रोगी-केंद्रित पहल का उद्देश्य मृत्यु दर को कम करना और उपचार की सफलता दर में सुधार करना है।
- भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अतिरिक्त संसाधनों का निवेश करके टीबी उन्मूलन प्रयासों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
- भारत और विश्व स्तर पर इसी अवधि के दौरान टीबी से मृत्यु दर में भी 18% की कमी आई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की गहन मामले का पता लगाने की रणनीतियों के परिणामस्वरूप 2022 में मामलों की अब तक की सबसे अधिक अधिसूचना हुई है, जिसके दौरान, 24.22 लाख से अधिक टीबी मामले अधिसूचित किए गए, जो कोविड-पूर्व स्तरों को पार कर गए।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अतिरिक्त संसाधनों का निवेश करके टीबी उन्मूलन प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं।

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) रैंकिंग

- LPI सहित छह मापदंडों में प्रदर्शन में सुधार के लिए किए गए उपायों और प्राप्त परिणामों का आकलन करना
  1. सीमा शुल्क,
  2. बुनियादी ढांचा
  3. शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी
  4. लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता
  5. ट्रैकिंग और ट्रेसिंग
  6. समयबद्धता।
- इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लक्षित कार्य योजना देश की लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे विश्व बैंक LPI में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा।
- हितधारक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए उपायों को विश्व बैंक के LPI दल के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्य परीक्षा के लिए तथ्य और कीवर्ड

1. लैंगिक समानता किसी भी समानता का सार है; यदि लैंगिक समानता नहीं है तो समाज में कोई समानता नहीं हो सकती।
2. शांति कोई विकल्प नहीं है. यही एकमात्र रास्ता है।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता गरीबी से लड़ने, दूरदराज के इलाकों में सामान और सेवाएं पहुंचाने और भविष्य के लिए कार्यबल को फिर से कुशल बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
4. अनुसन्धान आत्मनिर्भरता की ओर
5. औद्योगिक क्रांति के बाद से कृत्रिम बुद्धिमत्ता सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन बदलावों में से एक है; विश्व एक विभक्ति बिंदु के निकट है।
6. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था केवल 10 बिलियन डॉलर की थी, आज यह 80 बिलियन डॉलर की है। केवल 8/9 वर्षों में यह 8 गुना बढ़ गया है और हम 2030 तक +300 बिलियन होने की आशा रखते हैं।

***

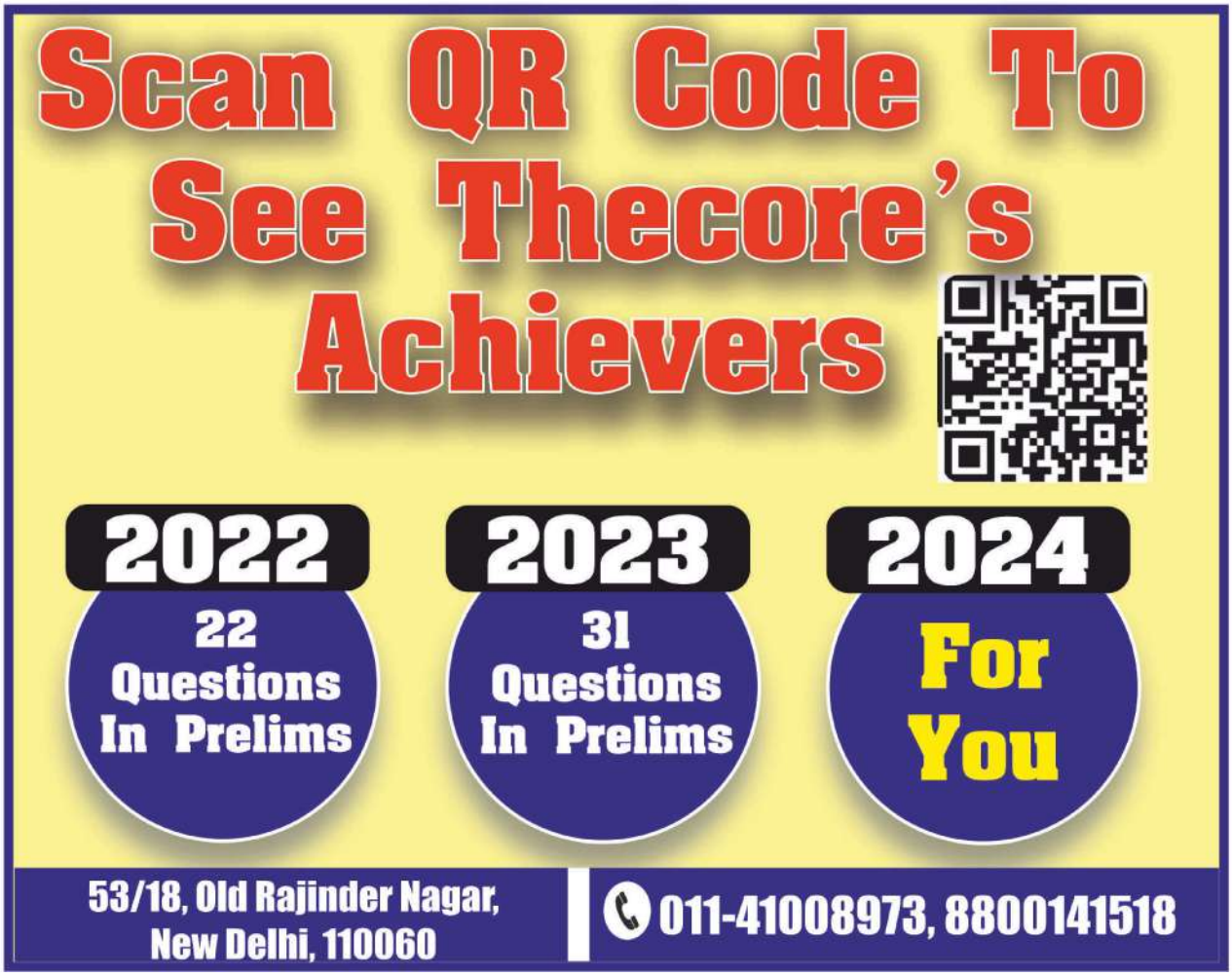

OUR CLASSROOM RESULTS NOT OF INTERVIEW

THE CORE IAS

Scan here for Testimonial

103, B-5/6 II Floor, Himalika Commercial Complex Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 09

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060

011-41008973, 8800141518, 9873833547